# बलात्कार के लिए अनुज्ञा – पत्र

## बर्मीस सैन्य व्यवस्था
## शान राज्य, बर्मा से यौन हिंसा का
## उपयोग युद्ध के दौरान

शान मानवीय अधिकार स्थापना
और
शान महिला अभियोग
(मई – 2002)

# बलात्कार के लिए अनुज्ञा – पत्र

## बर्मीस सैन्य व्यवस्था
## शान राज्य, बर्मा से यौन हिंसा का
## उपयोग युद्ध के दौरान


**शान मानवीय अधिकार स्थापना**

**और**

**शान महिला अभियोग**


**(मई – 2002)**


**e-mail: swan@shanwomen.org**

**kenneri@shanwomen.org**

# शान मानवीय अधिकार की स्थापना

SHRF एक गैर सरकारी संस्था है जिसका निर्माण 6 दिसम्बर 1990 में शान राज्य में बौध–भाईचारा, राष्ट्रीय प्रतिबंध और कई बाहरी और भीतरी शान राज्यों के लोगों की सहायता से हुआ।

SHRF के निम्न उद्देश्य हैं:–

1. मानवीय अधिकार और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना।
2. लोकतन्त्र कि उन्नति के लिए लोगों की इच्छा और संकल्प को समानता दिलाना और लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित सर्व–प्रिय सरकार की स्थापना करना।
3. एकता, भाई–चारा, समानता और सहयोग के लिए संघर्ष करना।
4. विश्वशान्ति, स्वतंत्रता और सफलता के लिए संघर्ष करना।

पता:– शान मानवीय अधिकार स्थापना

पो.ओ. बॉक्स – 201

फेरेसिंग डाकखाना

छियांग मेई – 50200

थाईलैंड

ई–मेल : shrf@cm.ks.co.th

# शान महिला अभियोग

SWAN की स्थापना मार्च 28, 1999 को शान महिला अभियोग द्वारा थाईलैंड में और थाई, बर्मा बॉर्डर निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ हुई:–

1. महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना।
2. महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे हिंसा और शोषण का विरोध करना।
3. समाज में शान्ति और स्वतंत्रता के लिए साथ मिलकर काम करना।
4. महिलाओं को बेहतर जीवन के योग्य बनाना
5. प्राकृतिक संसाधनों और वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागृत करना।

पता:– स्वान (SWAN)
पो.ओ. बॉक्स – 120
फेरेसिंग डाकखाना
छियांग मेई – 50200
थाईलैंड
ई–मेल : kenneri@loxinfo.co.th

# विषय सूची


| क्रम सं. | विवरण | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | प्रशासकीय सारांश | 1 |
| 2. | परिचय | 4 |
| 3. | पिछला खंड | 5 |
| | 1) शान राज्य का राजनीतिक और ऐतिहासिक खंड | 5 |
| | 2) बलात्कार की शान समाज में पारम्परिक अनुक्रिय और लिंग का पात्र | 5 |
| | 3) युद्ध के चार दशक के दौरान यौन हिंसा | 7 |
| | 4) शान राज्य में बढ़ता सैन्य राज्य | 8 |
| 4. | बलात्कार जैसे एक युद्ध का हथियार | 8 |
| | 1) बलात्कार की क्रमबद्ध और बढ़ती हुई घटनाएं | 9 |
| | 2) कर्मचारियों द्वारा बलात्कार | 9 |
| | 3) आगे और यातनाएं और पीडित महिला की हत्या | 10 |
| | 4) सामूहिक बलात्कार | 11 |
| | 5) सैन्य छावनी में बलात्कार | 11 |
| | 6) बलात्कार के प्रयोजन के लिए बढ़ता अवरोध | 12 |
| | 7) दोषी को दंड दिलाने में कमीं और शिकायत करने वाले को दंड देना | 12 |
| 5. | सैन्य राज्य द्वारा बढ़ता बलात्कार | 14 |
| | 1) बलपूर्वक दूसरे स्थानों पर भेजना | 15 |
| | 2) गाँव वालों को बलपूर्वक दूसरे स्थान पर भेजते समय बलात्कार | 15 |
| | 3) दूसरे स्थान से बाहर पाये जाने वाली महिलाओं का बलात्कार | 16 |
| | 4) दूसरे स्थान में बलात्कार | 18 |
| | 5) बलपूर्वक मजदूरी | 18 |
| | 6) बलपूर्वक द्वारपाल का काम कराना | 18 |
| | 7) दूसरे प्रकार के बलपूर्वक मजदूरी | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| | 8) सैना के जाँच शिविर | 20 |
| | 9) इधर–उधर गश्तः जवाबदेही की कमीं | 21 |
| 6. | अतिजीवी | 21 |
| | 1) भौतिक स्वास्थ्य पर प्रभाव | 21 |
| | 2) मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव | 22 |
| | 3 ) परिवार और समाज का सहयोग | 22 |
| | 4) दुगना दंडः बलात्कार के लिए दोषी मानना और अस्वीकार करना | 23 |
| | 5) बलात्कार के कारण प्रवासी मानना | 24 |
| | 6) थाईलैंड में सुरक्षा और सहयोग की कमीं | 24 |
| | 7) देश निष्कासन का भय | 25 |
| 7. | यौन हिंसा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध के समान | 26 |
| | 1) यौन हिंसा जैसी यातना | 27 |
| | 2) यौन हिंसा जैसी हानि पहुँचाने की वस्तु | 27 |
| | 3 ) यौन हिंसा जैसी मानवता के विरूद्ध अपराध | 28 |
| | 4) यौन हिंसा युद्ध जैसा अपराध | 30 |
| | 5) बलात्कार के लिए उत्तरदायित्व वश में करके | 31 |
| 8. | निष्कर्ष | |
| | 1) 281 मामलों के साक्षात्कार का विवरण | 34 |
| | 2) SPDC पलटन की सूची जिसके सदस्यों ने यौन हिंसा की | 54 |
| | 3 ) दोषियों के नाम जिन्होंने यौन हिंसा की | 57 |
| | 4) यौन हिंसा घटित स्थान का नक्शा | 59 |
| | 5) यौन हिंसा के (173 ) मामलों के सारांश | 71 |

# सारांश

इस लेख से हमें 173 घटना बलात्कार की और विभिन्न यौन हिंसाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। सन् 1996 से 2001 तक शान राज्य में 625 लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार बर्मा की सैना के द्वारा किया गया। ज्ञातव्य है कि बहुत सारी महिलाओं ने अपने उपर घटित यौन हिंसा की जानकारी नहीं दी है। दुर्भाग्य से इन घटनाओं की सूचना SHRH तक नही पहुँची है। मानव अधिकार को से सभी सूचनाएं 'शान राज्य' में थाई–बर्मा बॉर्डर से आने वाले शरणार्थियों से उपलब्ध हुई हैं। इसी कारणवश इस लेख में जो घटनाएँ हैं वो सच्चाई से काफी दूर हैं।

इस लेख से हमें पता चलता है कि बर्मा की सैना ने अपने सैनिकों की बड़ी ही चतुराई और दूर–दर्शिता से बलात्कार जैसी घटनाएं करने की छूट सिर्फ मासूम लोगों को डराने और उनका ध्यान 'शान राज्य' से हटाने के लिए दी है। इस लेख से हमें पता चलता है कि यह बहुत बड़ी घटना जिसे युद्ध अपराध कहा जा सकता है, जो कि मानवता के विरूद्ध है। यह यौन हिंसा शान राज्य में जारी है।

इस लेख से साबित होता है कि बलात्कार 'शान राज्य' में एक तरह से युद्ध का हथियार है जो निर्दोष नागरिकों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यह बर्मा सैना की सोची समझी नीति है। जिसके तहत वो शान राज्य की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इन घटनाओं से साबित होता है कि 52 अलग–अलग सैन्य विभागों में से सैनिकों ने बलात्कार किया जिसमें 83 फीसदी बलात्कार उन सैनिकों के अधिकारियों ने अपनी सेना के सामने किये। इन बलात्कार की घटनाओं से पता चलता है कि पीड़ित को बड़े हिंसक तरीके से यातनाएँ दी गई। जिसके परिणामस्वरूप 25 फीसदी बलात्कार की शिकार औरतें मारी गई। अनेकों घटनाओं से पता चला की यह सब सामान्य समुदायों के साथ हुआ। 61 फीसदी बलात्कार की घटनाएं ऐसी हैं जो सैना के शिविरों में हुई और चार महीने तक होती रही। यह जानकर बहुत दुःख होता है कि 173 घटनाओं के मामले में सिर्फ एक अपराधी को दंडित किया गया। बहुत सी घटनाओं में शिकायत करने वाली महिलाओं को यातना देकर सैनिकों ने मार डाला।

'शान राज्य' में शान महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार के प्रमुख कारणों में एक कारण यह है कि वहाँ पर सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है।

इस राज्य में सैन्य टुकडियों की संख्या 1988 से राज्य में तीन गुना बढ़ा दी गई है। बलात्कार की ज्यादा घटनाएं 'शान राज्य' के मध्य भाग में दर्ज की गई, जहाँ करीब 3 लाख ग्रामीण अपने घरों से 1996 में विस्थापित किये गये। बहुत सारे बलात्कार तब हुए जिस समय लड़कियाँ या महिलाएँ भोजन के लिए अपने घरों से बाहर निकलती थीं। बलात्कार की कुछ

घटनाएं ऐसी भी हैं जब महिलाएँ बिना वेतन के सैनिकों के लिए मजदूरी करती थी और सुरक्षा जाँच के लिए रोका जाता था।

इस लेख से यह भी पता चलता है कि बलात्कार से महिलाओं को शारीरिक और मानसिक यातनाएँ झेलनी पड़ी। बहुत सारी घटनाओं में पीड़ित को उसके अपने परिवार और उसके अपने समुदाय में सहयोग नहीं मिला। इन घटनाओं के बाद बहुत सारी महिलाओं ने बलात्कार के बाद थाईलैंड जाना उचित समझा। शान राज्य के शरणार्थियों को थाईलैंड में कोई सुरक्षा नहीं मिलती, कोई मानवीय सहायता नहीं मिलती और ना ही उन्हें कोई उचित परामर्श मिलता है। उन्हें केवल शारीरिक और मानसिक यातनाएं ही मिलती है।

## परिचय:

ये लेख SHRF महिला शाखा और SWAN ने मिलकर लिखा है। SHRF मासिक समाचार पत्रक के जरिए मानव अधिकार के लेखों को छपवाती है, जिसमें बलात्कार की वे घटनाएँ प्रकाशित होती हैं जो बर्मा की सैना ने 1997 से 1999 तक शान राज्य में की। SHRF एक बर्मा भाषा की पुस्तक है जिसमें बर्मा के सैनिकों के द्वारा की गई बलात्कार की घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। SWAN के सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सालों से महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाओं का उल्लेख किया। इसका प्रमुख कारण था अन्तर्राष्ट्रीय जगत को बर्मा के सैनिकों के दुर्व्यवहार से अवगत कराना। आज इस बात की जरूरत है कि बर्मा में जारी गृह–युद्ध, जिसमें मासूम नागरिकों विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने रखा जाए और एक दबाव राज्य सरकार की राजनीतिक व्यवस्था पर डाला जाए और कारणों को ध्यान में रख कर एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित की जाए जिसके अन्तर्गत बर्मा के सैनिकों को दंड देने की व्यवस्था की जाए और बलात्कार पीड़ितों की समस्याओं को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग गठित किया जाए।

जनवरी 2001 से लेकर मार्च 2002 तक SHRF और SWAN तथा लाहू महिला संगठन कार्यकर्ताओं ने थाई–बर्मा सीमा पर रहने वाली 28 महिलाओं की व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट तैयार की हैं SHRF की समाचार पत्रिका से 135 ऐसी घटनाओं का ब्यौरा प्राप्त हुआ।

बलात्कार की ज्यादा घटनाएं 1996 से 2002 तक हुई जिसमें से पाँच प्रथम बलात्कार पीडित महिलाओं से निजी साक्षात्कार किया गया। शान राज्य में बलात्कार की ताजा घटनाओं की सूचना के लिए आप कृपया SHRF मासिक समाचार पत्रिका से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप www.shanland.org के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। SHRF और SWAN उन सभी लोगों का धन्यवाद करता है जिन्होंने निजी तौर पर इस सूचना और लेख को तैयार करने में सहयोग किया और वह साथ हो नौरवेय मानव अधिकार संस्था को भी धन्यवाद देना चाहता है जिनके सहयोग से यह रिपोर्ट पूरी हुई।

**SHRF और SWAN द्वारा बनाई गई संस्तुती राज्य शान्ति और प्रगति के नाम:**

1. **पूरे राष्ट्र में सैनिकीकरण और नारेबाजी जल्द से जल्द बंद की जाए।**
2. **प्रजातन्त्र विरोधी व प्राचीन राष्ट्रवादी बर्मी लोग आकर बर्मा सरकार से पूरे राष्ट्र के हित में बातचीत शुरू करें।**
3. **जिनेवा राजनैतिक 12 अगस्त 1949 दल व अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हथियारों के इस्तेमाल मासूम लोगों, बच्चों और औरतों पर रोका जाए।**
4. **जबरदस्ती बच्चों से काम कराने पर रोक लगा दी जाए और बच्चों को उनके पूरे अधिकार दिए जाएं।**
5. **पुलिस कर्मचारियों द्वारा औरतों के यौन शोषण और लोगों को मारना–पीटना तथा जबरदस्ती काम करवाना आदि बंद किया जाए।**

**अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नाम:**

1. **मानव अधिकारों का शोषण न किया जाए जो कि अक्सर प्राचीन बर्मा के राज्यों में होता है।**
2. **एक प्रजातन्त्र राष्ट्र की तरह यहाँ भी सब लोगों को मानव अधिकार दिया जाए तथा पुराने कानूनों में परिवर्तन लाया जाए।**
3. **आम जनता पर जुल्म बंद किया जाए तथा UN ऐजेन्सियों और NGOs से मदद ली जाए।**

**UN ऐजेन्सियों और NGOs पर दबाव डाला जाए कि SPDC द्वारा वहाँ के नागरिकों पर जो जुल्म हो रहे हैं अपनी आंखों से देखे। ताकि उनमें इतनी ताकत आ जाए कि वे अपने साथ होने वाले जुल्म के विरोध में आवाज उठा सके।**

**थाईलैंड की शाही सरकार के नाम:**

1. थाई–शान बॉर्डर पर शान लोगों की सुरक्षा की जाए एवं शरणार्थी कैम्प बनाने की आज्ञा दी जाए।
2. शान के लोगों को पूरे मानव अधिकार दिए जाएं।
3. शान के बेघर लोगों को रहने का स्थान एवं पूरा काम दिया जाए।
4. शान की औरतों को बर्मी सेना के हवाले न किया जाए।
5. थाईलैंड और बर्मा की सरकारों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वहाँ के लोगों को बोलने का पूरा अधिकार दिया जाए। विशेषकर बर्मी लोगों को।

बेघर लोगों के लिए रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाए और जो वापस अपने राज्य में जाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाए। औरतों और लड़कियों को वेश्यावृति से रोका जाए विशेषकर बॉर्डर के स्थानों पर।

बच्चों व औरतों को उनके विशेष अधिकारों से वंचित न किया जाए तथा उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तथा हर प्रकार के शोषण से बचाया जाए।

और जो औरतों और बच्चों का शोषण करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

## शान राज्य का इतिहासिक व राजनैतिक भाग

शान राज्य एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि 1,60,000 कि.मी. भू-भाग में फैला हुआ है और इसे हम बर्मा के संघ के नाम से जानते हैं। यह राज्य प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज पदार्थ, मूल्यवान पत्थर, लकड़ी से भरपूर है। शान राज्य जिसकी आबादी लगभग आठ लाख बताई जाती है। जिसमें से आधे शान के सताए हुए लोग हैं जो कि उपजाऊ घाटी में रहते हैं। शान राज्य जो कि थाई से पुराने समय से जुडा हुआ है और जहाँ एक जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। अन्य दूसरे पुराने दल जिसमें अखा, कच्छनि, लहु, लिप्सु, पलाउन, पाओ और वा सम्मिलित हैं। ये ज्यादातर पहाड़ तोड़ने वाले मजदूर हैं।

शान राज्य जो कि तीस प्रदेशों में बंटा हुआ है। वहाँ उसी प्रदेश के सरदार द्वारा शासन किया जाता है। जिस समय बर्मा में अंग्रेजों का शासन था उस वक्त भी शान के लोगों को शासन चलाने दिया। शान राज्य आजादी पाने के लिए बर्मा से इस शर्त पर जुड़ने के लिए तैयार हुए की 10 साल के बाद भी उन्हें अलग करने का हक दिया जाए। यह शर्त सरकार के सामने रखी गई, परन्तु कभी मानी ना गई।

शान और दूसरे पुराने नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई ताकि वह अपने लोगों के लिए बर्मा सरकार से बराबरी का हक माँगे, जो कि 1962 के अंत तक ताकत पाने के लिए लड़ते रहे। सेना ने ''जनरल नि वन'' के नेतृत्व में बर्मा पर कब्जा किया। तब से सफल सैन्य दल ने उस देश में शासन किया तथा वहाँ से हटने से इन्कार कर दिया। 1990 के चुनावों में SNID ने NLD के ओंग ''सेन साउ कि'' से दूसरे स्थान पर भारी मत से जीत प्राप्त की, लेकिन सेना ने इस नतीजे को मानने से इन्कार कर दिया। SNLD के सदस्यों ने भी उसी प्रकार की कई परेशानियों का सामना किया, जिस तरह दूसरे दल के सदस्यों ने किया।

पिछले चालीस वर्षों में शान राज्य में विभिन्न प्रकार के पुराने प्रतिरोधक आंदोलन किए गए। बर्मी सेनानियों ने इसका सीधा जवाब अपनी सैन्य मौजूदगी को उस क्षेत्र मे बढ़ाकर दिया।

1996-1997 में केंद्रीय शान राज्य में सबसे बड़ा और सबसे एकोदिष्ट दल को लाया गया, करीब तीन करोड़ लोगों को चौदह सौ गाँवों से बेघर कर दूसरी जगह पर भेजा गया। वहाँ उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नही दी गई। गाँव के बहुत से लोगों को घर वापस नही आने दिया गया। उनमे से करीब आधे लोगों को थाइलैंड में शरणार्थियों कि तरह रहने के लिए छोड़ दिया गया।

''ओल्ड शान ने कहा है कि औरत अपने पति का सम्मान करती है। एक जानवर अपने मालिक का सम्मान करता है।''

पारम्परिक ग्रामीण शान समाज पुरूषो का राज्य चलता हैं। वहाँ समाज में एक प्रमुख स्थान पुरूषों को प्राप्त होते हैं जैसे गाँव का मुखिया भी गाँव के मन्दिर के समुदाय का सदस्य। पारीवारिक जीवन

में पुरूष को घर के मुखिया का स्थान दिया जाता है।

औरतों के फैसले को समुदाय में कोई महत्व नही दिया जाता । उन्हें सिर्फ शादी करने। पति की सेवा और बच्चों की देखभाल के लायक ही समझा जाता है।

औरते जहाँ अधिकतर घर के काम और बच्चों को संभालने का काम करती है तथा घर के बाहर वह पानी भरना और सब्जियाँ लाने का काम करती है।

जहाँ एक ओर औरतें बाजार में सब्जियाँ और दूसरे प्रकार की वस्तुओं को बेचती हैं। वहीं उन्हें घर के पैसों को संभालने के लिए भी कहा जाता है। ज्यादातर पुरूष ही धन कमाते है। परिवार में पैसों से जुड़े लेन-देन के जरूरी फैसले पुरूष ही लेते हैं। ''शान ने कहा है अगर पुरूष अपनी पत्नी द्वारा दबाया जाता है। इसका मतलब है कि वह गहरे गड्डे मे गिर गया।''

अधिकतर शान बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और वे धार्मिक कार्य द्वारा औरतों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए काम करती है। सिर्फ पुरूष ही सन्यासी का स्थान ले सकते हैं। जो समुदाय में धार्मिक कार्य करते हैं और वह अपने को मिले हुए सम्मान और ताकत का पूरा लाभ उठाते हैं। जबकि औरते भी सन्यासिन बन सकती हैं। फिर भी उन्हें साधुओं के बराबर नहीं समझा जाता और ना ही उन्हें उतना सम्मान मिलता है।

पारंपरिक शान समाज में शिक्षा का एकमात्र स्थान सिर्फ मंदिर था जहाँ सिर्फ लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी। शान राज्य में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ यही सच्चाई मानी जाती है कि लड़कियाँ तो कभी न कभी पत्नी या माँ बन जाएगी जिसका सीधा अर्थ यह है कि परिवार मे बेटों की शिक्षा को महत्व दिया जाता है।

समाज से प्राप्त स्तर के अनुसार औरतों को लोगों के सामने शांत और संजीदा चाहिए तथा शादी से पहले पवित्र होना चाहिए। जो औरत शादी से पहले अपनी पवित्रता खो देती है। उसे अपवित्र माना जाता है। कोई औरत जो शादी से पहले यौन क्रिया करती है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। अगर उसके साथ यौन क्रिया जबरदस्ती की गई हो तब भी अपने समदुाय के सामने होने वाले परीक्षा के डर से वह अपने साथ हुए बलात्कार की घटना का उल्लेख किसी से नही करती।

भूतकाल में ग्रामीण शान औरतों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त था कि वह बलात्कारी को सजा दे। बलात्कार की उन घटनाओ को गाँव के बड़े-बुजुर्गो के सामने लाया जाता था और अगर वह आदमी दोषी पाया जाता है तो उस आदमी द्वारा उस औरत को उसके परिवार वाले और गाँव के बुजुर्गो द्वारा अच्छी भुगतान राशि दिलवायी जाती थी। बलात्कार कि शिकार औरत को यह अधिकार भी होता है कि अगर वह चाहे तो वह न्याय पाने के लिए इस घटना को गाँव के उच्च न्यायायल तक भी ले जा सकती है जो कि बर्मीस अनुशासन के अंतर्गत है जिसके मुताबिक बलात्कारी को कम से कम दस साल की सजा हो सकती है।

इसलिए औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ कानूनी कदम उठाने चाहिए जिससे की वह स्वयं को यौन हिंसा से सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन यह सब बर्मीस सेनानियों द्वारा नही होने दिया गया। इस लेख में ऐसी अनगिनत बलात्कार की घटनाएँ है जिसमें उन शान औरतों ने जो हिंसा से बच निकली हैं। उन्होंने अपने समदुाय, अपने रिश्तेदारों और गाँव के मुखिया के सामने आवाज उठाई जो कि उनकी प्रथा के मुताबिक हैं लेकिन उनकी आवाज को बर्मीस सैनिकों द्वारा दबा दिया गया।

## शान राज्य में चार दशक के दौरान हुए यौन हिंसा और अंतराष्ट्रीय कानूनी शब्दावली :

इस लेख मे अधिकतर उन बलात्कार की घटनाओं को संग्रहित किया है जो बर्मा की सेना ने पिदले छः सालों में की हैं। फिर भी पिछले चार दशक से शान राज्य में हो रहे यौन हिंसा को सामान्य घटना की जगह माना गया है। सन् 1950 से बर्मीस सेना ने उन मासूम नागरिक के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है।

गृह युद्ध के पश्चात् बर्मीस दल को वहाँ की मासूम स्त्रियों के साथ यौन हिंसा करने की आज्ञा दी, चाहे वें उन्हें दंड दे या फिर मुक्त कर दे। स्त्रियाँ प्रतिरोध करने में सबसे कमजोर होती है इसीलिए उन्हें ही हिंसा का शिकार बनाया जाात है। यौन हिंसा का प्रयोजन न केवल आम दलों को आतंकित करने का होता है। बल्कि शत्रुओं की पत्नियों पर अपनी प्रबल शक्ति का इजहार करना भी होता है इसके अतिरिक्त यह गृह-युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के लिए इनाम के रूप में साबित होती है।

सेना ने पिछले दशक में नियम के अनुसार शासन को लगातार बनाया और साथ ही उन्होनें पुराने राज्यों में अपने सैन्य दल को बढ़ाया जिससे की वहाँ यौन हिंसा बढ़ती गई।

इस सच्चाई के बावजूद की बर्मा 1949 जनेवा सभा से हस्ताक्षरित है और दल ने कभी भी सेना में इस कानून को लागू नहीं होने दिया। इस लेख को पढते समय हमें निम्नलिखित पारंपरिक शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए।

युद्ध में हुए अपराध ने 1949 जनेवा सभा के समाधियों में हुए दरारों को भर दिया। और युद्ध में हुई गंभीर गैर-कानूनी हिंसा ने अंतराष्ट्रीय और आतंरिक युद्ध को बडी मात्रा में बढ़ावा दिया। यद्यपि यह लेख बलात्कार और दूसरे यौन हिंसा के अपराधों का वर्णन नहीं करता विशेषकर जब वे समाधियों में हुए दरारों का वर्णन करते हैं। अंतराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने बलात्कार ने बलात्कार को एक ऐसी यातना और बर्बर व्यवहार या शरीर और स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान बताया है जो कि दोनों ही समाधियों में दरारों के बराबर हैं।

मानव जाति के विरूद्ध अपराध ने उस करनी को दर्शाया है जो मानव जाति के लिए मना है। ये अपराध किसी राष्ट्र के नागरिक के विरूद्ध विस्तृत रूप से राष्ट्रीय, राजनैतिक और धार्मिक मूल पर बनाया जाता है। हत्या, बलात्कार यौन हिंसा, गुमशुदा करना इस दुष्कर्म में शामिल हैं।

युद्ध में हुए अपराध मानव जाति को सजा दने के लायक हैं चाहे वो देश में शांति के वक्त या युद्ध के दौरान किया गया है।

**शान राज्य में बढ़ता सैन्यराज :**

शान राज्य में नौ सैन्य राज होने के बावजूद जिसमें से एक ही सैन्य दल (शान राज्य सैन्य-दक्षिण) ने शांति का अनुबंध किया है। SPDC ने 1988 से अपने सैन्य राज्य को शान राज्य में तिगुना कर दिया गया।

बर्मा सेना में कुल 12 क्षेत्रीय कब्जे किए हैं जिनमें से तीन शान राज्य में हैं। जिनमें से सैनिकों कि कंपनी निम्नलिखित है :-

| | | |
|---|---|---|
| उत्तरी पूर्व भाग | - | 38 कंपनी |
| पूर्व भाग | - | 31 कंपनी |
| त्रिकोणीय भाग | - | 37 कंपनी |
| पैदल सेना भाग | - | 55-10 कंपनी |
| कुल | - | 116 कंपनी |

कुल मिलाकर बर्मा में 500 सैनिकों कंपनी है। इससे अभिप्राय है कि बर्मा कि सेना का एक चौथाई हिस्सा अब शान राज्य में है।

**युद्ध को बलात्कार के हथियार को अनदेखा किया गया :**

इस लेख के लिए जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं वह साफ दर्शातें हैं कि बर्मी सैन्य दल ने व्यवस्थित रूप से बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में निर्दोष शान राज्य की जनसंख्या पर प्रयोग किया है। इस अभ्यास ने यह निर्णय लिया की सेना द्वारा हुए हिंसा को अनदेखा किया है। इस भाग में इसे वर्णित किया गया।

**बलात्कार कि क्रमबद्ध और फैली हुई घटना :-**

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए की बलात्कार से जुड़े लांछन के कारण बहुत-सी औरतें यौन हिंसा की घटना का उल्लेख नहीं करती। इसके अतिरिक्त शान राज्य में हुए मानवीय दुष्व्यवहार कि जानकारी थाई -बर्मा बोर्डर में आए हुए शरणार्थी द्वारा प्राप्त हुई। परंतु इसकी जानकारी SHRF तक नही पहुँच पाई, इसलिए इस लेख में घटनाओ कि संख्या निश्चित संख्या से बहुत कम है।

बलात्कार व यौन हिंसा की घटना जो इस लेख में पिछले छः वर्षों में दर्ज है वह इस प्रकार है।

| सन् | घटनाओं की संख्या | कुल लड़कियों की संख्या | औरतों की संख्या | स्थान |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 1997 | 30 | 25 | 157 | 11 |
| 1998 | 30 | 18 | 38 | 13 |
| 1999 | 26 | 17 | 71 | 13 |
| 2000 | 33 | 13 | 69 | 17 |
| 2001 | 44 | 15 | 186 | 17 |
| कुल | 168 | 92 | 527 | |

यह देखा जा सकता है कि बलात्कार की घटनाओं कि संख्या जो कि 2001 में दर्ज कि गई थी। वह संख्या हाल में हुई घटनाओं से ज्यादा थी। सैन्य दल का ये दावा करने के पश्चात् कि शान राज्य में शांति स्थापित हो गई है फिर भी उस दल के द्वारा वहाँ के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यह प्रसिद्ध है कि बर्मी सैन्य कंपनी के कुल 52 दल बलात्कार की घटनाओं में शमिल हैं। यह एक मजबूत करने का स्त्र है की बर्मी सैन्य दल के हर वर्ग ने बलात्कार के आचरण को स्वीकार किया है।

**कर्मचारियों द्वारा किए गए बलात्कार :**

इस लेख द्वारा इस वास्तविकता का पता चला कि 83% बलात्कार की घटनाओं को अनदेखा किया गया है जो की सेना के अफसरों द्वारा की गई जिसमें दल के छोटे व बड़े अधिकारी शामिल हैं।

निम्नलिखित सूची से अफसरों के दोष का पता चलता है।

| | **अफसरों का वर्ग** | **बलात्कारों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1. | सेनापति/कर्मचारी | 48 |
| 2. | मुख्य अधिकारी | 14 |
| 3. | नायक/सेनापति | 63 |
| 4. | सेनाध्यक्ष / प्रतिनिधि | 5 |
| 5. | उच्च अधिकारी | 6 |
| 7. | कुल | 139 |

85% घटनाओं में सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया उन्होंने इसे छुपाने की भी कोशिश नहीं की। इनमें से 10 घटनाओं में तो कर्मचारियों ने बलात्कार करके उक्त महिला या लड़की को अपने पूरे समूह के पास छोड़ दिया। चाहे वे उसके साथ सामूहिक बलात्कार करें या उसकी हत्या।

> तीन महिलाएँ जिनकी आयु 18, 21 और 24 वर्ष थी रोड़ के पास जंगल से जलाने के लिए लकड़ियाँ इक्टठी कर रही थी, जोकि उनके गाँव पा साथ से 2 मील की दूरी पर था। जब 80 **SPDC** के सैनिक **LIB** 359 ने उन औरतों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद कैप्टन तुन क्यों सबसे छोटी लड़की को पास की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद उसने तीनों महिलाओं को अपने से नीचे के अधिकारियों को दे दिया और उन्हे उनका बलात्कार करने के लिए कहा। फिर उन सैनिकों ने उन महिलाओं को डंडे से पीट-पीट कर मार डाला। (केस नं. 105)

**बलात्कार पीड़ित महिलाओं की हत्या और यातना :-**

सैन्य दल द्वारा दी जाने वाली यातना और अमानवीय शारीरिक यातना से ये सिद्ध होता है कि ये हिंसा एक तरह से आम जनता को डराने और अलग-थलग रखने कि साजिश है। जिनमें से 25% घटनाएँ ऐसी हैं जिनके सबूत हैं। इनमें वे लड़कियाँ और महिलाएँ शामिल हैं जिनका बलात्कार किया गया और गोली मार कर हत्या कर दी या यातना दे-देकर और जला कर मारा डाला। बहुत सारी घटनाओं से सिद्ध होता है कि महिलाओं के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि उन्हें शारीरिक यातनाएँ दी गई और उन्हें मारा गया। उनके स्तनों को काट लिया गया और उनकी योनि में छड़ी डाली गई। ये वे सारे उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं को बड़ी क्रूरता से मारा गया और बलात्कार किया गया।

> उसका बहनोई गांव वापस जा रहा था। कुछ चावल और खाने का सामान लेने के लिए। सैन्य दल ने खेतों में दो औरतों को देखा। उन्होंने उन पर शान सैनिकों की पत्नी होने का आरोप लगाकर उन्हें मारा। यद्यपि उन्होंने समझने की कोशिश की, कि वे मार्क मूंग पोंक गाँव के निवासी हैं। सैन्य दल ने कुछ नहीं सुना और उसकी बहन को डंडे से मारना जारी रखा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। जब उसने अपनी बहन के गर्भवती होने की बात कह कर याचना की तो उन्होंने उसके गर्भाशय पर मारा। जब उसने सैनय दल को रोकने की कोशिश की तो कमांडर ने एक डंडा उसके सिर पर मार कर बेहोश कर दिया। जब वह होश में आई तो एक कमांडर ने उसे झोपड़ी में बिस्तर पर खींच कर उससे बलात्कार किया। फिर डंडा मार कर उसे बेहोश कर दिया। जब वह दुबारा होश में आई तो उसने अपने आप को निर्वस्त्र पाया। उसकी बहन झोपड़ी के बाहर मरी पड़ी थी। उस समय वहाँ कोई सैनिक नहीं था। वे सब अपने साथ दो हजार क्यात और सोना लेकर चले गये थे। (केस नं 64)

बहुत सारी घटनाओं में ये कोशिश की गई कि बलात्कार पीड़ितों की हत्या के बाद उनका शव ना मिले। और ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि बलात्कार पीड़ितों कि हत्याओं से जनता को एक प्रकार से भयभीत रखा जाए।

लै खा कस्बे में नवाम गाँव में 12 साल की लड़की पशुओं के लिए चारा लेकर खेत में जा रही थी। वहाँ **SLDRC 8** सैन्य दल ने उसका बलात्कार करके उसे गोली से मार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर जब उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो सैन्य दल ने उन्हें रोक दिया। दफनाने की अनुमति मांगने पर उन्होंने कहा, ''कि इसे यहाँ शान राज्यों के लिए उदाहरण स्वरूप रखा जाएगा। यदि तुम इसे दफनाओगे तो तुम भी इसके साथ मरोगे। (केस 15)

**सामूहिक बलात्कार :**

61% बलात्कार की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि ये सामूहिक बलात्कार थे। और ये सारी घटनाएँ निडर होकर खुले आम की गई जिससे कि उनके खिलाफ गवाही या शिकायत ना कर सके। बहुत सारी सामूहिक बलात्कार कि घटनाओं में पीड़ितों को सैन्य दलों द्वारा मार दिया गया। कुछ महिलाओं को बाद में छोड़ दिया गया बिना इस डर के कि बाद में उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाएगी।

तीन महिलाएं जिनकी आयु 18, 35 और 37 वर्ष थी उन्हें खोलाम क्षेत्र के खेतों से **SPDC** सैन्य दल के कप्तान थॉन मोंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात् उनके साथ 3 दिन और चार रातों तक सैनिकों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। (केस नं0 116)

**सैनिक छावनी में बलात्कार :**

सबूतों से यह साबित होता है कि 11 बलात्कार की घटनाएँ सैनिक छावनी में ही हुई, जिनकी सूचना सेना के दल के प्रमुखों को है ही नही। हालांकि सैनिक शिविरों के आस-पास रहने वाली आम जनता को इन घटनाओं की जानकारी है। इससे ये सिद्ध होता है कि सेना ने इतना ज्यादा लोगों को डरा रखा था। इसी लिए वे इसके विरोध में आवाज नहीं उठा रहे थे।

एक प्रमुख घटना में जिसमें दो स्कूल छात्राओं ने बिना डरे आम सभा में SPDC के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्हें बाद में SPDC सैनिकों द्वारा खुले आम पकड़ा गया और उन्हें सैनिक शिविर में ले जाकर उनके दल प्रमुख ने चार दिन और चार रात तक लगातार उनके साथ बलात्कार किया। बाद में सजा के तौर पर उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया गया।

लै खा कस्बे के माध्यमिक विद्यालय में एक बैठक हुई जहाँ छठी कक्षा तक के 84 विद्यार्थी पढ़ते थे। भाषण देने के बाद मुख्य अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या वे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। पांचवीं कक्षा से एक 17 वर्षीय स्कूली छात्रा ने पूछा-'' मैं यह पूछना चाहती हूँ कि बर्मी सैनिक जो सरकार सैन्य दल होने का दावा करते हैं। लोगों को इतना क्यों दबाते हैं। बहुत से गाँव वालों को कस्बे में जाने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ उन्हें मुश्किलों का सामना करके आजीविका करनी पड़ती है। उनकी हालत कितनी दयनीय है। एक दूसरी 18 वर्षीय स्कूली छात्रा जो छठी कक्षा से थी, ने पूछा,

'सरकारी सैन्य दल ने लै खा कस्बे का मुख्य बाजार क्यों बन्द कर दिया? यह बाजार यहाँ बहुत समय है लेकिन अब यह 2 – 3 सप्ताह से सरकारी सैनिक शान सैनिकों से क्रोधित हैं तो उन्हें शान सैनिकों के पीछे जाना चाहिए।' इससे पहले कि मुख्य अध्यापक उन प्रश्नों के उत्तर देता दो **SPDC** के सैनिक जो स्कूल के सुरक्षाकर्मी थे ने लड़कियों को बुलाया और कहा कि उन्हें सैन्य आधार पर और कमांडर से पूछ कर उन्हें **LIB 515** आधार पर ले जाओ। कमांडर ने लड़कियों को बंद कर दिया। वह एक लड़की को आने शयनकक्ष में ले गया और पिस्तौल की नोंक पर उसे वस्त्र उतारने को कहा। उसने सारी रात उसका बलात्कार किया। अगली सुबह वह दूसरी लड़की को लाया और एक दिन और एक रात उसका बलात्कार किया। लड़कियों का चार दिन और चार रातों तक बारी – बारी बलात्कार करने के बाद कमांडर ने उनके माता – पिता से उन्हें छोड़ने के लिए 15,000 क्यात अदा करने की मांग की। (केस 64)

**बलात्कार के कारणों के पीछे दूर दर्शिका :**

24 विभिन्न मामालों में महिलाओं को पकड़कर उनको लगभग चार महीनों के लिए सैनिक शिविरों में रखा गया। इस तरह की खुली घटनाओं में महिलाओं को बिना किसी डर के अपनी हवस का शिकार बनाया।

एक खेत में काम करते हुए चार स्त्री और छह पुरूष ग्रामवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जबरदस्ती सैनिक सामान उठाने पर विवश किया गया और उन्हें सैनिकों के साथ जाना पड़ा जो सुनसान गाँवों की रखवाली कर रहे थे। अपने पड़ाव के दौरान जहाँ कहीं भी रात होती वे वहाँ दो – तीन रातों के लिए रूक जाते। हर रात को वे सैनिक औरतों का बलात्कार करते। आम नागरिकों को बिना भुगतान के सैनिकों का सामान ढ़ोने का काम चार महीनों के लिए करना पड़ा जिसके दौरान औरतों को भी सैक्स गुलामों की तरह काम करने के लिए विवश किया गया। (केस 120)

**शिकायत करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही :**

इन सभी घटनाओं के हवाले से ये पता चलता है कि सैन्य विभागों के ऊपर इन सभी घटनाओं के परिणामों का कोई डर नहीं है और ये मानसिक रूप से बलात्कार करने के आदि हो चुके हैं और उन्हें पता है कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

बहुत सारी बलात्कार की घटनाओं के सूत्रों से यह पता चलता है कि बलात्कार की शिकार महिला ने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से बताया और उसके बाद अपने समुदाय के प्रमुखों को। सभी ने उन्हें यह सलाह दी कि अपना मुँह बंद रखे और इस घटना की बात किसी से न कहे (22 मामलों में 13% ) परिवार के मुखियाओं ने अपनी घटना का जिक्र आगे नहीं किया क्यों कि उन्हें डर था कि शिकायत करने पर उन्हें जेल में डाला जाएगा और शारीरिक यातना दी जाएगी।

एक बार एक गाँव में मुखिया ने कैप्टन सोई को एक 19 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या करने के बाद फार्म हाउस छोड़ते हुए देखा। वह किसी शहर गया और इस बात की शिकायत उस समुदाय के मुखिया से की। जब कैप्टन ने सुना कि उसके ऊपर बलात्कार और हत्या का शक किया जा रहा है तो उसने नवांग कौ गाँव को घेर लिया और मुखिया का घर ढूंढा। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद सैनिकों ने बताया कि उन्हें वहाँ वॉकी-टाकी यंत्र मिला और कैप्टन ने तुरन्त मुखिया को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ग्रामवासियों को पूरा विश्वास था कि वाकी-टाकी यंत्र को चुपके से मुखिया के घर में कैप्टन ने छुपा दिया था ताकि मुखिया को फंसाया जा सके। कैप्टन और उसके सैनिकों ने मुखिया को एक घर के स्तम्भ से बांध कर उससे पूछताछ की और उसे बुरी तरह पीटा गया और शारीरीक यन्त्रणा दी गई उन्होंने मुखिया से पूछा कि उसे यह यंत्र कहां से मिला और किस शान निरोधक गुट ने उसे वह यंत्र दिया। उन्होंने उसके गले में गर्म पानी डाला और उसे तब तक मारते रहे जब वह अपने घर के स्तम्भ से बंधा हुआ मर नहीं गया। जब गाँव का मुखिया शाम को देर से खेत से आया तो मैंने उसे जो कुछ हुआ था सब बताया। फिर उसने **SPDC** के पास के सैनिक कैम्प कमांडर से शिकायत की। कमांडर ने उस सैनिक को जिसने बलात्कार किया था, बांधा, पीटा और उसे जेल में डाल दिया। (केस 70)

जैसा कि एक घटना से सिद्ध होता है कि जिसमें एक परिवार के मुखिया को क्रूर तरीके से मारकर और यातना देकर SPDC सैनिकों द्वारा जान से मार दिया गया। उसकी गलती यह थी की उसने अपने परिवार की महिला के साथ हुई घटना को अपने समुदाय के प्रमुखों को बताया।

बहुत-सी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि महिलाएँ और लड़कियों ने अपने ऊपर हुए शारीरिक हिंसा की घटना को नहीं बताया क्योंकि वे नही जानती थी कि उनके साथ बलात्कार करने वाला कौन है। उसका नाम क्या है और वो किस सैनिक टुकड़ी से संबंध रखता है। इसका लाभ उठाते हुए बलात्कार के दोषी अक्सर दोष मुक्त हो गए।

जैसा कि 37(21%) घटनाओं में बलात्कार की शिकार महिला ने, उसके रिश्तेदारों ने और उसके समुदाय के प्रमुखों ने SPDC विभागों के ऊपर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सिर्फ एक घटना में जो कि अप्रैल 1997 में हुई थी, बलात्कार दोषी को मुरंग हस्त में उसके सैन्य प्रमुख द्वारा सजा दी गई।

जब गाँव का मुखिया देर रात अपने खेत से लौटा तो, जो भी घटना घटी उसे बताई। उन्होंने SPDC के सैन्य प्रमुख को शिकायत की। सैन्य प्रमुख ने उस सैनिक को पकड़ा, दंड दिया और जेल भेज दिया।

लेकिन इन मामलों में भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि ऐसा होता तो दोषी को कम से कम दस साल के लिए बलात्कार के जुर्म में कैद हो सकती थी।

और जब कि इस मामलों में भी ऐसा नहीं कि ये कानूनी कार्यवाही कि गई क्योंकि ऐसा होता तो दोषी को कम से कम दस साल के लिए बलात्कार के जुर्म में कैद हो सकती थी। 11 विभिन्न मामलों में SPDC प्रमुखों ने घटना को दर्ज तो किया परंतु उसपर कार्यवाही नही की और 9 विभिन्न मामलों में SPDC प्रमुखों ने 80 सैनिकों को एक लाइन में खड़ा करवाया और बलात्कार कि शिकार महिला से बलात्कारी की पहचान कराई गई, पर कार्यवाही नही हुई। इन विभिन्न घटनाओं में सबूत के उपलब्ध होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ऐसे एक मामले में परिवार का मुखिया शिकायत करने की वजह से मारा गया और बलात्कार की शिकार महिला के परिवार से दो हजार रुपए माँगे गए उसे छोड़ने के लिए। और दो विभिन्न मामलों में बलात्कार की शिकार महिला ने खुद अपने आपको छुड़वाने के लिए दो हजार रुपए नहीं दिए तब तक उसे कैद से मुक्ति नहीं मिली। और विभिन्न मामलों में परिवार के मुखिया और उसके परिवार को कैद से मुक्ति पाने के लिए साढ़े पाँच हजार रुपए देने पड़े। और तीन मामलों में जिन्हें कैद नहीं हुई थी लेकिन जुर्माने के तौर पर तीस हजार रुपए सैनिकों को देने पड़े।

सिर्फ एक घटना जिसके अंदर मौजूद साक्षों के द्वारा सेना के प्रमुख ने कार्यवाही को और बाकी मामले को वापस ले लिया।

सामान्यत: SPDC प्रमुखों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और तीन मामलों में SPDC अधिकारियों ने यह साबित किया कि दोषी उस जगह था ही नहीं जिस जगह यह घटना हुई। और सिर्फ एक घटना में जिसका परिणाम बाद में आया। जिसमें दोषी का तबादला किया गया और दो विभिन्न मामलों में सेना के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सजा के तौर पर दूसरी जगह भेजा गया। और इन सभी 11 मामलों को छोड़ कर SPDC के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और 7 मामलों में शिकायत करने वाले को सजा के तौर पर जुर्माना किया गया। लगभग 60 हजार रूपये क्योंकि उसने SPDC अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। और एक ऐसे ही मामले में बलात्कार की शिकार पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया और उसे तब छोड़ा जब गाँव के प्रमुख ने एक गाय अधिकारियों को दी।

इन दर्ज मामलों में SPDC विभागों ने बलात्कार पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध न कराई और बलात्कार को वैश्यावृति करार दिया गया। इन सभी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि शान राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है।

प्राप्त सूचना के अनुसार 11 विभिन्न मामलों में महिला न स्वयं और उसके परिवार ने चिकित्सा सुविधा प्राप्त की और बलात्कार से होने वाली चोटों व बीमारियों से और रक्त संक्रमित और दो विभिन्न मामलों में हस्पताल के कर्मचारियों द्वारा शारीरिक यातना और एक मामले में जिसमें 5 साल की छोटी लड़की का उसके घर में SPDC सैनिक द्वारा बलात्कार किया गया। जिसकी फोटोग्राफ भी ली गई और प्रयत्न किया गया कि इस घटना की कार्यवाही हो। जब बाद में इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और सिर्फ एक मामले में अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बलात्कार पीड़ित महिला जिसे मारा गया था। सलाह दी गई कि वो झूठ बोले कि इस घटना को छोड़कर कोई और घटना का वर्णन कर दे। दूसरे शब्दों में यह

कहा जा सकता है कि चिकित्सा कर्मचारी खुद ही बहुत ज्यादा डरते हैं कि सैन्य विभाग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने में और सैन्य विभागों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त सबूत देने में।

> बाद में जब वह अपने सिर के घाव के इलाज के लिए अस्पताल गई और उससे पूछा गया कि यह कैसे हुआ हौर जब उसने कहा कि उसे **SPDC** के जवानों द्वारा पीटा गया तो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उससे कहा कि वह कहे कि उसके सिर पर चोट टहनी गिरने से लगी है। नहीं तो वह सैनिक दोबारा आकर उसे सजा देंगे। वह इतना अधिक भयभीत हो गई की वह दो तीन दिन के बाद थाई सीमा रेखा की तरफ चली गई।

## सैनिकों को जमावड़ा बलात्कार की घटनाओं को बढ़ाने के सन्दर्भ में:

जैसा कि देखा गया है कि बलात्कार का अभ्यास एक तरह से युद्ध है जिसके सबूत हमें इन घटनाओं से मिलते हैं और यह भी सिद्ध होता है कि सैनिकों की ज्यादा उपस्थिति से शान राज्य में ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही है।

## सैनिकों द्वारा दूर दराज के इलाकों की खोजबीन:

प्राप्त मानचित्रों से ये पता चलता है कि बलात्कार की घटनाएं (70 फीसदी) ज्यादा शान राज्य के मध्य में जहाँ ज्यादातर ग्रामीण जनता रहती है दर्ज किये गये। बर्मा के सैनिकों को यह अभ्यास कराया जाता है कि वे जाकर आम जनता को डरा-धमकाकर जबरदस्ती काम करायें और उनसे सहायता लें। सबसे बड़ा जो खोजबीन का काम शान में (1996-1997) में शुरू हुआ। 3 लाख ग्रामीण जिसमें तकरीबन 1400 गाँव जिसमें अधिकतर किसान थे। उन्हें बंदूक की नोक पर सड़क के किनारे और उनके जमीन से दूर किया गया और उनसे कुली का काम करवाया गया। एक परिणाम के स्वरूप लगभग डेढ़ लाख शान निवासी भाग कर थाईलैंड चले गये और वहाँ पर शरणार्थी मजदूर बने और हजारों को जंगल से भगा दिया गया। इस सेना के खोजबीन अभियान से जो घटना सबसे ज्यादा हुई वह महिला के साथ बलात्कार था।

## गाँव में बलात्कार, खोजबीन अभियान के दौरान:

जब ग्रामीण लोगों को जबरदस्ती खोजबीन के द्वारा निकाला गया तो उन्हें ज़बानी और लिखित तौर पर कहा गया कि वे अपने गाँव से सप्ताह के कुछ दिन तक बाहर रहेंगे (लगभग उसे 7 दिन) और उन्हें धमकी दी गई कि वे अगर गाँव में दिखाई दिए तो उन्हें मार दिया जाएगा और कुछ घटनाओं में सैनिकों ने अपनी दी गई सीमा की प्रतीक्षा नहीं की।

हिंसा पर उतर आए और ग्रामीण लोगों को उनके घरों से भगा दिया गया। और हिंसा इस कदर बढ़ी कि मासूम लोगों को मारा गया, जलाया गया और औरतों के साथ बलात्कार किया गया।

**60%** बलात्कार की घटनाएं सैनिकों के खोजबीन अभियान के दौरान ही हुई।

मार्क क्वाथ गाँव के दूर दराज के इलाके में चावलों के खेत के पास एक झोंपड़ी में पांच

सदस्यों का एक शान परिवार था। वहाँ **SPDC** के सैनिक आए और उनको देखा उन्हें विवश किया गया कि वे लेकिया पुर्नस्थापित जगह को जाए। जब वे रास्ते में थे तो उन्हें किसी कारणवश एक जगह पर आराम के लिए रूकना पड़ा। उन सैनिकों ने उनके पिता को घर के स्तम्भ के साथ रस्सी से बांध दिया और उसके नीचे आग जला दी और वह उसमें जल गया। फिर उन्होंने उस परिवार की किशोरावस्था की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और अन्त में उसकी हत्या कर दी। थोड़े दिन के बाद उसके पिता भी शारीरिक यंत्रणा का दर्द सहते हुए मर गये। उसकी मां अपने पति को यंत्रणा सहते हुए और अपनी बेटी का सामूहिक बलात्कार और हत्या होते हुए देख कर अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। (केस 17)

बलात्कार की शिकार महिला को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना और इस खोजबीन के दौरान ग्रामीणों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला गया और उन्हें एक दायरा दिया गया कि वे उस पार ना आएं और इस दायरे पर आने वाले को देखते ही मारने का बर्मा सैनिकों को आदेश दिया गया। इन सभी प्रतिबन्धों से ग्रामीणों को प्रकृति की यातना भी सहनी पड़ती है क्योंकि ग्रामीण लोग अपना जीवन यापन करने के लिए न सिर्फ अपने खेतों पर निर्भर हैं बल्कि वे जंगलों पर भी निर्भर हैं, जहाँ से उन्हें, खाना, पानी और लकड़ियां मिलती नहीं। इसी कारण से कुछ ग्रामीणों ने नई जगह पर जाने में असमर्थता दिखाई क्योंकि वे डरते थे कि दूसरी जगह पर वे अपना जीवन नहीं काट पायेंगें।

ग्रामीण कुछ समय के लिए नए स्थान पर गये परन्तु वापिस लौट आए और उन्होंने कोशिश की कि वे अपनी सम्पति पुनः प्राप्त कर सके या फिर चुपचाप कुछ फसल बोये।

कुछ ग्रामवासियों ने पुर्नस्थापित जगहों पर जाने के बजाय अपनी जिन्दगी को खतरे में डाल कर जंगलों में छुपे रहना ज्यादा ठीक समझा। उन्हें यह आशा थी कि वे छुपाये गये अनाज के भंडार और चोरी छुपे खेती बाड़ी करके जिन्दा रह सकते थे।

बाकी के ग्रामवासी पहले तो पुर्नस्थापित जगहों पर चले गये लेकिन फिर वे चोरी छुपे अपने पुराने गाँवों में वापिस आ गए और अपने छोड़े गए सामान को इकट्ठा करने लगे और चोरी - चोरी फसल उगाने लगे।

14% बलात्कार की घटनाएं जो इस लेख में दर्ज हैं वो उन ग्राम वासियों के साथ घटी है जिन्हें बर्मा सेना ने उन्हीं के गाँवों के पास से या गाँव के अन्दर से पकड़ा था। उन्हें युद्धस्त विद्रोही की पत्नी होने का या फिर उनके लिए अन्न जुटाने का अपराधी माना गया। उन्हें और उनके परिवारजनों को कई प्रकार की यातनाएं दी गई ताकि वह युद्धरत विद्रोहियों के बारे में सूचना दे कि वह क्षेत्र में कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं। ऐसी बहुत सी बलात्कार की घटनाओं में औरतें मारी गई।

ज्यादातर पीड़ित उन लोगों में से थे जिन्हें बाहरी गांवों के इलाकों से कुन हिंग कस्ते में पुर्नस्थापित किया गया था। उनके लिए बिना किसी काम के और बिना किसी खेती की जमीन के कस्बों में रहना बहुत मुश्किल था इसलिए अधिकांश किसानों ने अगस्त 1999 से चोरी छुपे अपने खेत के पास छोटी-2 झोंपड़ियां रहने के लिए बना दी थी और चोरी

छुपे आते जाते रहते थे जब वह घटना घटी। 26 सैनिकों का दल जबरन सामान ढ़ोने वाले आम नागरिकों के साथ नाम यांग नदी के किनारे खोजने के लिए आए और उन्होंने सारी झोंपड़ियों को घेर लिया और उनमें रहने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तीन पुरूष किसानों को इक्टठा करके उन्हें शारीरिक यंत्रणा दी गई और उनसे एक-2 करके पूछताछ की गई उनसे शान सैनिकों के बारे में पूछा गया लेकिन उन किसानों ने उनके बारे में कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। सैनिक उनसे लगातार पूछताछ करते रहे और साथ-2 उन्हें शारीरिक यंत्रणा भी देते रहे जब तक वे मर नहीं गये और फिर उन्होंने एक-एक करके मृत शरीरों को नदी में फैंक दिया। दो औरतों को सैनिक दो दिन और दो रातों के लिए अपने साथ ले गये और सारे अधिकारियों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें मार डाला। (केस 97)

ज्यादातर घटनाओं में महिलाओं ने सचमुच में विनती की और इस बात की अनुमति मांगी कि उन्हें अपने पुराने गाँव में जाने दिया जाए। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें लिखित पास भी दिये परन्तु फिर भी वे बलात्कार होने और मारे जाने से नहीं बच सकी।

मई 1998 में अधिकांश गाँव वालों ने जिन्हें खो लैम में जबरदस्ती पुर्नस्थापित किया था ने **SPDC** के अधिकारियों से इस बात की अनुमति मांगी कि उन्हें नाम जारंग जाने और खेतों में काम करने के लिए गांव के बाहर जाने दिया जाए। 19 गाँव वाले नाम जारंग के अधिकारियों से पास लेने और वहां के सैनिक कमांडर से अनुमति लेने में सफल हो गये, उन्हें 4 किलोमीटर पश्चिमी खो लैम में खेतों में काम करने की अनुमति दे दी गई और वे उन खेतों में मई 1998 से जून 1998 से काम कर रहे थे **IB-246** सैनिकों की टुकड़ी ने उन पर दूर से गोली बारी की। सारे गाँव वाले पास के जंगल में छुप गए और किसी को चोट नहीं लगी। सैनिक थोड़ी देर तक खेतों में ढूंढने के बाद वहाँ से चले गये। थोड़ी देर के बाद एक औरत और उसका अंकल ये समझ कर कि सैनिक सचमुच चले गये हैं, अपने कपड़े लेने और बिस्तर लेने खेतों में अपनी झोपड़ी की तरफ गए और गाँव वापस आ गए। परन्तु जैसे ही वह अपनी झोपड़ी की तरफ पहुँचे तो सैनिक वापिस आ गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके अंकल को पीट-पीट कर मार डाला और उस औरत के कपड़े फाड़ डाले और उससे कई बार बलात्कार करने के बाद उसकी गोली मार झोपड़ी में ही हत्या कर दी। उसके बाद सैनिक उन खेतों को छोड़ कर खो लैम चले गये। (केस 49)

फिर भी उन ग्रामीणों को जिन्हें उनकी जगह से दूसरे स्थान पर भेजा था उन्हें खेती करने या आहार तलाशने की अनुमति दे दी गई। 27 बलात्कार की घटनाएं जो कि इस लेख में है वह उन जगह के समीप हुई जहाँ उन्हें जबरदस्ती लाया गया। महिलाओं को उस समय पकड़ा जाता था जब वे अपने रोज मराह के कार्य अपने जीवन के लिए करती थी। जैसे अनाज बोना या फिर इकट्ठा करना, लकडियां या पानी लाना।

दो लड़कियाँ जिनकी उम्र 16 और 17 साल की थी और जो कुंग सा गाँव की थी उन्हें कस्बे में पुर्नस्थापित किया गया था। एक दिन आधे मील की दूरी पर खेत में बैलों को चरा रही थी। 50-60 सैनिकों का दल जो कि **Co3, IB 55** से था तथा जिसका कैप्टन थेन विन था उन्होंने उन लड़कियों को देखा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे सैनिक उन लड़कियों को और उनके चार बैलों को अपने कैम्प में ले गये और उन्हें 6 दिन और 5 रातों तक बंधक बना कर रखा और उस दौरान उन दोनों लड़कियों के साथ कैप्टन और उसके अधिकारियों ने बलात्कार किया। उन चार बैलों को सैनिकों ने मीट के लिए मार डालां जब सैनिकों को दुबारा गश्त के लिए जाना पड़ा तो वे उन लड़कियों को अपने साथ ले गए। जब वे जंगल में सुनसान जगह पर पहुँचे तो उनके कैप्टन ने अपने सैनिकों को उन लड़कियों को गोली से मार देने का आदेश दिया। (केस 111)

एक दूसरी दर्ज घटना में एक SPDC कर्मचारी ने एक महिला के पति को उसकी सेना के साथ दूसरे स्थान पर भेज दिया ताकि वह उसकी पत्नी के साथ बलात्कार कर सके।

## एक स्थान से दूसरे स्थान में लाई गई महिलाओं से बलात्कारः

यह एक निन्दा की बात है कि 6% बलात्कार की घटनाएं अधिकतर दूसरे स्थानों पर होती है जहाँ उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाता है। वहाँ गाँव के लोग तभी सुरक्षित होंगे जब तक वह बर्मा की सेना का आज्ञा पालन करते हैं। यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सेना की शासन-पद्धति यह है कि बलात्कार के बदले वह निसन्देह उन्हें हानि से मुक्ति देंगे, उन्हें सजा देने के झूठे बहाने की भी आवश्यकता नहीं और वह बलात्कार कर सके।

एक 16 साल की लड़की वॉन नांग कुन मोंग पुर्नस्थापित जगह पर अपने घर में अकेली थी। जब **SPDC** के कैप्टन थान क्यो और उसके सैनिक वहाँ उसके घर में घुसे और उससे पीने के लिए पानी मांगा। जब कैप्टन को पता चला कि वह लड़की घर में अकेली है, वह वहीं बैठ गया और उससे अपनी बाहों की मालिश करने को कहा। उसने कहा कि उसकी बाहें अधिक काम करने से अकड़ गई हैं। वह लड़की अत्याधिक भयभीत हो गई और उसने यह कहते हुए कि उसे मालिश करना नहीं आता, उसे मना कर दिया। कैप्टन थोड़ी देर तक जोर देता रहा ओर जब वह लड़की आसानी से नहीं मानी तो उसने अपनी बन्दूक उसकी तरफ तान दी और उसे गोली से मार देने की धह कहते हुए धमकी दी कि, 'तुम्हें नहीं मालूम मैं आर्मी का कैप्टन हूँ। ' फिर वह उसे बांह से खींचते हुए अन्दर के कमरे में ले गया और उसे अपने सब कपड़े उतारने का आदेश दिया और फिर बन्दूक की नोक पर उससे बलात्कार किया। उससे बलात्कार करने के बाद उसने शयन कक्ष की तलाशी ली और दो हार जिनका वजन 1 और 2 बहत था और जिनकी कीमत 45,650 क्यात थी और ठंडे मौसम में पहनने वाले ओवरकोट को लेकर चला गया। (केस 74)

बहुत से दूसरे स्थान जहाँ उन्हें ले जाया गया है, सेना की छावनी के समीप होता है जिसके कारण बंदी बनाई गई महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटती है।

एक 9 वर्ष की लड़की जो कि अपने घर में अकेली थी जो कि वान नोंग कुन मोंग में था। जब SPDC के कप्तान थान क्या और उसकी सेना उसके घर में घुसा और लड़की से पीने का पानी मांगा। जब कप्तान ने देखा कि लड़की घर में बिल्कुल अकेली है, वह बैठ गया और उस लड़की से अपना शरीर दबाने को कहा, यह कहकर कि उसका शरीर ज्यादा काम करने से दर्द कर रहा है। लड़की इतनी डरी हुई थी डरते-डरते उसने कहा कि उसे शरीर दबाना नहीं आता। कप्तान ने कुछ देर तो उससे आग्रह किया फिर जब वह आसानी से नहीं मानी तो कप्तान ने उस पर पिस्तौल तान दी और उसे मार डालने की धमकी देकर कहा, '' तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं सेना का कप्तान हूँ। फिर वह उस लड़की को खींच कर अन्दर के कमरे में ले गया और उसे आज्ञा दी कि वह अपने सारे कपड़े उतार दे, उसके बाद उसने उसका बलात्कार किया, उस पर पिस्तौल रखे रहा। लड़की का बलात्कार करने के बाद उसने कमरे की तलाशी ली और दो हार जिनका वजन 1 तोला और 45,000 रूपये और एक गर्म कोट अपने साथ ले गया। (case-74)

## बाध्य मजदूरी: जबरदस्ती मजदूरी का काम करवाना

एक बहुत आवश्यक बात जिसकी वजह से बर्मी सेना औरतों के साथ क्रूरता से बलात्कार कर रही है वह यह है कि पुरूषों से जबरदस्ती मजदूरों का काम करवाना। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में, सेना जबरदस्ती गांव के लोगों से अनिवार्य सेवा करवाती है। उनसे आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति करवाती हैं। आमतौर पर अनिवार्य पुरूषों के साथ सेना ऐसा बर्ताव करती है। इसका अर्थ यह है कि जब भी सेना गांव में पहुंचेगी। पुरूष वहां से भाग जाते हैं नहीं तो सेना उनसे मजदूरी करवाएगी। वह औरतों को अकेले घरों में छोड़ देते हैं और सेना की क्रूरता उन्हें भुगतनी पड़ती है।

> जब **SPDC Co 5, LIB 154** के सैनिक नार लेन गाँव में घुसे तो गाँव के लोग जबरदस्ती सामान ढोने वाले बनाये जाने के डर से वहाँ से भाग गये। वे अपने पीछे गाँव में सिर्फ औरतों को छोड़ गये। जब कैप्टन क्यो मिंट ने एक 14 साल की लड़की को घर में अकेला देखा तो उसने सैनिकों को घर के बाहर रखवाली करने के लिए कहा। फिर वह उस लड़की को खींचते हुए शयनकक्ष में ले गया, उसे थप्पड़ मारे और उसके साथ बलात्कार किया। (केस 171)

अगर किसी पुरूष को एक बार मजदूर बनाया जाता है तो इसका अर्थ है कि कुछ महीने या फिर सालों के लिए मजदूर बन जाते हैं और औरतों को भी अकेले छोड़ा जाता है और उनके साथ ज्यादा बलात्कार होते हैं। 6% बलात्कार की घटनाएं तब होती हैं जब औरतों के पति मजदूरी कर रहे होते हैं या फिर उन्हें जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए दूर भेज दिया जाता है। जिसकी वजह से बर्मा सेना को महिलाओं के साथ बलात्कार करने का मौका मिल जाता है।

तीन औरतें खेतों में काम कर रही थी। सैनिक उनके पास आए और उनसे पूछा कि उनके आदमी कहाँ हैं? उन औरतों ने कहा कि उनके आदमी उनके साथ नहीं आए हैं और न ही वे घर पर हैं क्योंकि **SPDC** के सैनिक तीन-चार दिन पहले उन्हें सामान ढ़ोने के लिए ले गए हैं और वे अभी तक वापिस नहीं आए हैं। एक कमांडर एक लड़की को पास के खेत की झोंपड़ी में ले गया और उससे बलात्कार किया। वह उसे तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक उसका मुंह खरोचों से नहीं भर गया। बाकी की 2औरतों के साथ बाकी के अधिकारियों ने बलात्कार किया और उन्हें बाद में सैनिकों को दे दिया। एक लड़की वहाँ से भाग गई। अभी वह खेत के किनारे तक ही पहुँची थी जब सैनिकों ने जो खेत के बाहर रखवाली कर रहे थे ने उसे देखा और उसे वहीं पर गोली से मार दिया। (केस 82)

एक घटना जो कि लेख में दर्ज है औरतों के पति को मार-मार कर उसकी हत्या कर दी, औरत के साथ बलात्कार किया और उसे विधवा बना दिया। जबकि उसका पति SPDC सेना के लिए मजदूरी कर रहा था।

बलात्कार होने से दो साल पहले अर फ्यु (असली नाम नहीं) का पति जो कि 30 साल का था, को **SPDC** अधिकारियों ने जान से मार डाला। जब उसे सामान ढ़ोने के लिए ले जाया गया। वह खेतों में काम करने के लिए अकेली रह गई। फरवरी 2001 में सात सैनिक जो कि **LIN 359** बेस के थे जो कि ताखीलेक में था, उसके पास आए और उसे अपनी बंदूक से जान से मारने की धमकी दी। वह बर्मी भाषा बोलना नहीं जानती थी और न ही वह सैनिकों की भाषा समझ सकती थी और न ही वह अपने पैरों से भाग सकती थी क्योंकि वह लंगड़ी थी। उन सैनिकों ने उससे एक घंटे तक सामूहिक बलात्कार किया (बाद में वह गर्भवती हो गई) (केस 135)

एक घटना जो कि लेख में दर्ज है कि एक SPDC सेना के अफसर ने उसके पति को जाने के लिए कहा और औरत को अपने सिपाहियों के साथ अन्य स्थान पर भेज दिया ताकि वे वहाँ जाकर उसके साथ बलात्कार कर सकें।

कप्तान तुन्न औ LIB 524 ने नांग ऐई को देखा (असली नाम नहीं है) तौन होंग के दूसरे स्थान पर। उसके बाद कप्तान ने 30 SPDC दल जो कि तान ओंग की नेतृत्व में था क्षेत्र की गश्त पर था और उसने गाँव के मुखिया लुंग मिन को आज्ञा दी कि वह जाई-मोंग हला को बुलाए। जो कि नांगएई के पति थे। कप्तान तुन्नौ ने कहा, ''आज मैं चाहता हूँ कि तुम सेना का मार्ग दर्शन दो दिन के लिए करें। जब नांगएई का पति घर नहीं था, कप्तान तुन्नौ उसके घर आए और उसे अन्दर यह कह कर बुलाया कि तुम्हारे शयनकक्ष में क्या है? चलकर देखते हैं। उसके बाद कप्तान ने पिस्तौल सिर पर रखा और उसे डराया और उसे शयनकक्ष में खींचकर ले गया और उसके बाद दस बजे

से तीन बजे तक उसके साथ बलात्कार किया। (Case-152)

महिलाओं से भी जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है और साथ ही गश्त कर रही सेना का मार्ग–दर्शक बनती है। बलात्कार की नौ घटनाएं इसी समय हुई जब महिलाओं से मजदूरी करवाई जाती या फिर मार्ग–दर्शक का काम करवाया जाता है।

> जब वह लड़की और उसका भाई कस्बे से 2 मील और 1 मील खेत से दूर सैनिकों के कैम्प में पहुँचे तो कमांडर ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे और कहा कि उसे एक गाइड की जरूरत है और वह उस लड़की को ले जाना चाहते हैं और उसके भाई को वापिस घर जाने और अपने परिवार को इस बारे में बताने के लिए कहा। वे सैनिक बाहर के इलाकों में छोड़े गये गाँवों को ढूंढते रहे। रात को जब वे दूर के किसी गाँव में आराम कर रहे थे तो कैप्टन अंग खिन ने उस लड़की को मजबूर किया कि वह उस घर में उसके साथ रहे और उससे बलात्कार करने की कोशिश की । जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसने उसे गोली से मार डालने की धमकी दी और उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह बेहोश हो गई। फिर वह उसे बालों से खींचते हुए अन्दर के कमरे में ले गया। उससे उसे तीन तक गिनने तक अपने कपड़े उतारने पर विवश किया और उसे मारने की धमकी दी। उसके पास उस कमांडर की बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था और फिर उसने उस लड़की से बलात्कार किया। चार दिनों तक सैनिक उस गाँव के बाहर निगरानी करते रहे और जब तक वे कुन हिंग वापिस लौटे उस लड़की के साथ हर रात बलात्कार किया गया। (केस 65)

### दूसरे प्रकार के बाध्य श्रमः

जैसा कि कई विस्तीर्ण प्रलेखों में मानवीय अधिकारों के बारे में बताया गया है, बर्मीस सेना लगातार अनिवार्य मजदूरी करवाती है और उनकी मजदूरी भी नहीं देते, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। साधारण कार्य जिसमें सड़क–बनाना, सिपाहियों के रहने की स्थान की सफाई या बनाना, सिपाहियों के खेतों पर काम करना, गाँव और सड़क की चौकीदारी आदि।

बलात्कार की पाँच घटनाएं जो कि इस लेख में दर्ज हैं तब घटित हुई जब महिलाओं से जबरदस्ती इस प्रकार के कार्य करवाये जाते है। एक घटना जिसमें 40 महिलाएं शामिल थीं अप्रैल 2001 में SPDC LIB 332 और LIB 520 सेना द्वारा सड़क बनाने के काम के लिए नौ–दस दिन तक बाध्य किया गया। रात के समय महिलाओं को पुरूषों से अलग रखा जाता था। उसके बाद उन्हें पिस्तौल की नोंक पर डराया जाता था और बलात्कार किया जाता था।

### दूसरी घटना जो कि मई 2001, SPDC सेना के छावनी में घटीः

> स्थानीय कैम्प कमांडर ने 15 औरतों को नाम कैट गाँव से आर्मी कैम्प के गार्ड हाऊस की सफाई करने का आदेश दिया। जब वे 15 औरतें कैम्प में घुसी हो कैप्टन ने चौदह

औरतों को दूसरे कैप्टनों के शयन कक्ष को साफ करने के लिए कहा और एक को अपना कमरा साफ करने के लिए कहा। जैसे ही वह कमरे में घुसी और कमरा साफ करने लगी कैप्टन ने उसका पीछा किया और पीछे से कमरा बन्द कर दिया। उसने उसे पकड़ लिया और वह चिल्लाई, ''कैप्टन मेरा बलात्कार कर रहा है।'' (केस 147)

## सेना का जाँच शिविरः

सेना का नियमित जाँचकक्ष जो कि सड़क के साथ ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि युद्धरत विद्रोहियों की कार्यवाही पर नजर रख सके और इसलिए भी ताकि वह अन्यायी इकट्ठा हो सके। इससे सेना गाँव के बीच से गुजरती महिलाओं से लाभ उठाने का मौका मिलता है।

पाँच घटनाएं जो इस लेख में दर्ज है तब घटी जब महिलाओं को जाँच के लिए रोका जाता था। अगली घटना अगस्त 2001 मुख्य जाँच शिविर कक्ष से पहले ''सालवीन समुद्र के टा सारंग पुल के पास घटी।

जब **LIB 225** के सैनिक गाँव वालों के सामान की तलाशी ले रहे थे और उनसे प्रश्न पूछ रहे थे तो कैप्टन मिंट लिवन ने 3 औरतों को गाँव से उठवा लिया और उन्हें एक अलग जगह पर ले जाकर पूछताछ की। एक सैनिक ने ट्रक ड्राईवर से कहा हमें अपने बड़ों से आदेश मिला है कि हम तीन औरतों को और जानकारी के लिए यहाँ रखें और उन्हें बाद में छोड़ दिया जाएगा और बाकी गाँव वालों को जाने के लिए कहा। एक कैप्टन बारी-बारी से उन्हें अपने कमरे में लेकर आया और उनसे बलात्कार किया। जब उसने उनसे बलात्कार कर लिया तो उसने अपने बाकी के साथियों को उनसे बलात्कार करने के लिए कहा। बाद में सारे 21 सिपाहियों ने उन औरतेां के साथ बलात्कार किया। (केस 157)

## इधर-उधर गश्त करते दल- जवाबदेही की कमीं :

जैसा कि शान राज्य में बर्मा सेना की पलटन की संख्या बढ़ गई है। इसलिए गश्त करने वाले दल की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जिससे कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध रोक सकें।

यद्यपि अधिकतर बलात्कार पलटन की सेना द्वारा उनकी छावनी में घटित होती है जो कि उसी स्थान में होते हैं। अधिकतर सिपाही अपरिचित क्षेत्र अपनी छावनी से दूर होते हैं। आगे, अधिक परिणाम के लिए (कम से कम 30 घटनाएं पलटन के सिपाहियों द्वारा की गई है जो कि दूसरे नगर में स्थित हैं और कुछ पलटन द्वारा जो कि बर्मा के दूसरे भागों में स्थित हैं।

दल हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में युद्धरत विद्रोहियों की तलाश के लिए गश्त करते रहते हैं।

संवर्धन हानि से मुक्ती को ध्यान हीन करना, ये साफ दर्शाती है कि सेना को गश्ती के लिए उनकी छावनी से दूर भेजना समूह की संभावना को कम करती है कि वे दोषियों का पीछा कर सके जिन्होने

गश्ती के दौरान अपराध किए हैं।

**अतिजीवी :**

इस भाग का मुख्य लक्ष्य यौन हिंसा से हुई हानि को गंभीरता से गहन करना और प्रत्यक्ष करना है। उसके द्वारा न सिर्फ तुरंत अपराधी का पीछा करना और उसकी दंड की और ध्यान केंद्रित करना है और ऐसी घटनाओं को आगे होने से रोकना भी, और यह भी अतिजीवी व्यक्ति के जरूरतों को पूरा करना और उसकी सुरक्षा भी करना।

**भौतिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :**

यद्यपि इस लेख में दर्ज कई घटनाओं में विशिष्ट भौतिक विवरण नही दिए गए हैं। अनेक घटनाओं में यह प्रत्यक्ष होता है कि अतिजीवी बहुत गंभीरता से आक्रमण के दौरान घायल हुए हैं। कई घटनाओं में बचे हुए लोग घटना के बाद बेहोशी की अवस्था में मिले हैं, और कम से कम दो घटनाओं में अतिजीवी तो चल भी नही पा रही थी। एक घटना में महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार तब हुआ जब वह सात महीने से गर्मवती थी, और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया।

> नांग हला (उसका असली नाम नहीं) को बीमार और अचेत अवस्था में झोपड़ी में अकेला छोड दिया गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि न तो वह उठ सकती थी और न ही चल सकती थी। उसे लगातार सिरदर्द, उल्टी, दस्त हो रहे थे और उसे अत्याधिक रक्तस्राव हो रहा था। उसने सोचा कि उसका बच्चा मर जायेगा। चार दिन तक अकेले रहने के बाद सात महीने की गर्भावस्था के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। (केस 160)

जैसा कि पिछले भाग में बताया गया है कि ''मामलों में लड़की या महिला की चिकित्सा अस्पताल में हुई। इनमें से सिर्फ एक घटना में घायल लड़की की हालत के बारे में बताया गया जो पाँच वर्षीय थी और उसके अंग बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गए थे। वह अस्पताल में 10 दिन तक रही और एक घटना में मरीज को पाँच बार अस्पताल आना पड़ा और एक घटना में अस्पताल का कुल खर्चा 17,000 रुपए था, जो कि घायल महिला द्वारा ही दिया जाना था।

और भी पाँच मामलों में, मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। फिर भी उनकी हालत की जानकारी कई महीनों से दर्ज है। सिर्फ एक मामले में यह बताया गया कि अतिजीवी महिला सामूहिक बलात्कार के कारण जो कि सात बर्मीस सेना के सिपाहियों द्वारा हुआ है, गर्भवती हो गई है।

**मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :**

मानसिक स्वास्थ्य का उल्लेख बहुत कम हुआ है जिसमें घायल स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य का पता चल सके, अधिकतर इसलिए साक्षत्कार जो कि इस लेख में लिए गए हैं वह इतनी लंबी है जिसके कारण महिला के साथ हुई घटना की गहराई और भाव जो महिला ने अनुभव किए है उसका अन्वेषण नहीं हो पाता।

यह प्रकट होता है कि कुछ भौतिक लक्षण जो कि अतिजीवित इस घटना के कारण सह रही है। वह उनके मानसिक स्थिति से बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए नींद ना आना, वजन घटना, ताकत की कमी जैसी बीमारियों को महिलाएं सहती हैं।

> एक महिला ने कहा, '' मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम रहा था कि यह क्या हो गया, मेरा दिल जोर से धडक रहा था। मैं सब आदमियों से डरने लगी थी।'' एक दूसरी महिला ने कहा, ''उस घटना के बाद मैं अपने आप में ही खोई रहने लगी। मैं किसी को देखना और बात करना नहीं चाहती थी।'' (केस 119)

एक और महिला ने घटना को अपने तक ही सीमित रखा। वह किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती थी।

अनेक पीड़ितों ने बलात्कारी के खिलाफ सजा की माँग की। एक ने क्रोध दिखाया जब न्याय नहीं मिला।

उसी समय कई पीड़ित महिलाएं जो घटा उसके लिए शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। इस घटना का परिणाम था कि लोग उनको शक के नजरिये से देखते थे और उनका सम्मान नहीं करते थे।

किसी भी घटना मे ंजो की यहाँ दर्ज है उनमें से किसी में भी पीड़ित को सलाहकार की सुविधा नहीं दी गई। कुछ मिले सूत्रों के अनुसार ये प्रत्यक्ष होता है कि पीड़ित को तुरंत ही इन प्रकार की सुविधा की आवश्यकता थी, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें इस घटना के बाद उन्हीं के सामाज के लोगों द्वारा बहिष्कार कर दिया, सम्मान से देखा जाता था।

**परिवारजनो और समुदाय का समर्थन :**

यह पहले से ही दर्ज किया गया है कि 21 प्रतिशत घटनाओं में पीड़ित के परिवारजनों ने और समुदाय के लोगों ने सेना के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत दिखाई। इससे यह प्रमाणित होता है कि अनेक घटनाओं में परिवार एवं समुदाय के सदस्यों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उनका साथ दिया।

और भी आगे, दस घटनाओं में पीड़ित के परिवारजनों का अनुक्रिया और भी ज्यादा विस्तार से दर्ज है, यह दर्ज है कि पति और दूसरे परिवार के सदस्य पीड़ित महिला के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वे उसका ''समर्थन'' ही नही करते बल्कि समझते हैं और उसको दोषी भी नहीं समझते।

फिर भी यह ध्यान केंद्रित करने वाली बात है कि कई घटनाओं में पीड़ित को ही उसके परिवार और समुदाय के सदस्यों द्वारा दोषी माना जाता है जो भी उसके साथ घटित हुआ।

**दोष और अस्वीकृति बलात्कार की वजह से दुगुनी सजा :**

तीन घटनाओं में पीडित महिला को उसके पति या प्रेमी द्वारा दोषी माना गया। इनमें से एक महिला

जिसकी सगाई बलात्कार कि घटना के बाद तोड़ दी गई और वह लडका जिसके साथ शादी होने वाली थी वह उसे देखने भी नहीं आया। दूसरी महिला जिसका पति उसे बर्मीस ने छोड़ दिया यह कहकर कि उस पर ताना कसता था।

> जब मेरा पति घर आया (बलात्कार के बाद) मैंने उसे जो कुछ हुआ था, बताया वह मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ और मुझे पीटा। बलात्कार के बाद मेरा और मेरे पति का रिश्ता बुरी तरह प्रभावित हुआ। रोज मेरा पति और बच्चे मुझे कहते थे, ''वेश्या! अगर तुम अपने आप को बेचना चाहती हो तो हम तुझे जंगल में झोपड़ी बना देते हैं। तुम वहाँ अपने आप को बेच सकती हो। मैं उनके इन शब्दों से बुरी तरह आहत हुई और अखिर में मैं उनक इन शब्दों को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकी। मैंने अपने पति को तलाक दे दिया । जब मैं अपने बच्चों को देखने गई तो उन्होंने कहा, ''वेश्या, तुम हमारी मां नहीं हो। हमें देखने के लिए मत आया करो और मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरे पति ने कहा, ''तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुरन्त मेरा घर छोड़ दो। और आखिर में मैंने थाईलैंड आने का निश्चय कर लिया। (केस 3)

दूसरी घटना में एक स्कूल की लड़की का बलात्कार सड़क पर बर्मीस सिपाही ने किया, और परिवारजनों ने उसका साथ नहीं दिया।

> मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझ सके और उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की। उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया और मेरे दोस्त मुझे घृणा से देखते थे। मैं बुरी तरह से अकेली और दुखी थी। यह 1991 की बात है जब में मुरंग हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में थी। मुझे बलात्कार के तुरन्त बाद पेपर देने थे परन्तु ग्लानि की वजह से मैं पेपर नहीं दे सकी। इससे सब कुछ प्रभावित हुआ और मेरी जिन्दगी नीचे की तरफ गिर गई (केस 1)

एक और अन्य घटना में 12 वर्षीय लड़की जिसकी आँखे खराब थी जिसकों SPDC के सिपाही ने बलात्कार करने की कोशिश की और उसे कई शारीरिक चोटें आईं यह घटना तब हुई जब वह लड़की मंदिर में वापस लौट रही थी, उसे ही उसके समुदाय द्वारा घटना के लिए दोषी माना गया ।

> अधिकतर गाँव वालों ने नांग तोंग (उसका असली नाम नहीं) को उस घटना के लिए दोष दिया और कहा कि यह उसकी मूर्खता थी कि वह बिना किसी बड़े आदमी के मन्दिर से टोन हूम आ रही थी।

उपरोक्त घटना ये साफ दर्शाती है कि उन्हीं के समुदाय के लोग अधिकतर घृणा के नजरिए से पीड़िता को देखते हैं और इस अवस्था को तुरंत बदलने की आवश्यकता है और ऐसे सोच के प्रचलित होने के बावजूद, यह एक प्रभावित करने वाली बात है कि एक घटना में जिसमें महिला में इतनी शक्ति थी उसने समुदाय द्वारा आधीन होने के लिए दबाव को नहीं माना। यह (Case 135) पीड़ित महिला गर्भवती हो गई। जब गाँव वालों को ये पता चला तो उसे उसके पति को ढूँढने को कहा, जिससे की वह समुदाय

में बदनामी से बचेगी। एक तो अक्षम होना, एक शरणार्थी और पहले से ही एक छोटा सा बेटा उसकी पहली शादी से। वह इस दबाव के अधीन नहीं हुई वह अकेली रहना चाहती है। उसने समझाया :

> मैं जानती थी कि हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चो ं का सौतेला पिता हो। कुछ आदमी सिर्फ औरतों को प्यार करते हैं, उनके बच्चों को नहीं। अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मुझे तलाक लेने में परेशानी होगी। (Case 135)

**बलात्कार की घटना के कारण महिला का प्रवासन :**

22 मामलों में ये दर्ज है कि (13%) महिलाएं बिना अपने परिवार के या अपने परिवार के साथ 'थाईलैंड' चली गई, क्योंकि उनके साथ बलात्कार हुआ है।

कुछ घटनाओं में बलात्कार की शिकार महिला तुरंत ही दूसरे स्थान पर चली जाती है, इस भय से की कहीं उन पर फिर आक्रमण ना हो जाए। एक मामले में तो 18 वर्षीय महिला को गाँव के मुखिया द्वारा गाँव छोड़ने के लिए उत्तेजित किया गया।

> उसकी सुरक्षा की चिंता करते हुए उसने कहा '' अगर तुम्हारे जाने के लिए कोई जगह है तो तुम्हें जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हें उन सैनिकों का दुबारा सामना न करना पड़े और नांग येन (उसका असली नाम नहीं) एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही और हर रात अलग-अलग रिश्तेदारों के घर बिताती। उसके माता-पिता उसी सुरक्षा के लिए चिंतित थे, लेकिन प्रतिघात के डर से उनकी मिलिटरी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके छूटने के दस दिन बाद (बंधक बनाने और सामूहिक बलात्कार के बाद) नांग येन की माँ उसे थाईलैंड ले गई। (केस 133)

दूसरे मामले में महिला थाईलैंड के लिए एक या दो महीने बाद चली गई।

**थाईलैंड में सुरक्षा और सहयोग की कमी :**

जैसा कि करण और करेणी राज्य जो कि बर्मा और थाईलैंड के साथ हैं, जहाँ कोई भी शरणार्थी कर्मचारी छावनी थाई-शान बार्डर पर नहीं है। प्रचलित थाई पालिसी सिर्फ ''अल्पकालिक लोग जिन्हें दूसरें स्थान पर लाया गया।'' उन्हें ही पहचानते हैं जो कि सीधा युद्ध से भागकर आए हैं, ना की उनके दूराचार को जो बर्मीस सेना द्वारा शान राज्य के नागरिकों पर किए गए हैं। इसलिए यह धारणा है कि प्रतिवर्ष 150,000 शान शरणार्थी थाईलैंड की ओर चल पड़ते हैं क्योंकि केंद्रीय शान राज्य ने उन्हें सन् 1996 में स्थान छोड़ने को बाध्य कर दिया। सामान्यत: जो कि गैर कानूनी है। उन्हें अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। औरतों और बच्चों को दूसरे प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता हैं। इस लेख की विषय-सूची साफ दर्शाती है कि शरणार्थी जो शान-राज्य से थाईलैंड में आए हैं उन्हें हमेशा हर बात का डर रहता है। यही कारण है कि वे शरणार्थियों

की स्थिति में रहने को बाध्य हैं। यह बहुत ही खेदजनक बात है कि औरतें और बच्चे जिन्होंने यौन हिंसा की पीड़ा सही है उन्हें भी सुरक्षा और सहयोग नहीं दिया जाता।

उपरोक्त में से बलात्कार से मुक्त एक महिला अगस्त 2001 में थाईलैंड चली गई और बलात्कार की घटना के दो महीने बाद इस लेख के लिए उस महिला का साक्षात्कार लिया गया। शान राज्य की शरणार्थी महिला थाईलैंड में बिताए गए जीवन की स्थिति का वर्णन करती है। ''नागहला'' 16 वर्षीय लड़की, जब वह सात महीने के गर्भ से थी 10 SPDC सिपाहियों द्वारा उसका सामूहिक बलात्कार उसके पति के सामने किया। उसके पति को दूर ले जा कर मार डाला गया। तत्पश्चात् उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। उसके पश्चात् वह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में थाईलैंड चले गए।

> साक्षात्कार के समय उसका बच्चा सिर्फ दो महीने का था और बहुत बीमार था। उसका दूध पीने से बच्चे को दस्त लग गये परन्तु नांग इला के पास अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह इतनी कमजोर थी कि वह कोई काम भी नहीं कर सकती थी और क्लीनिक तक जाने के लिए और दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। (केस 160)

इस लड़की की सहायता उसके रिश्तेदारों और कुछ शरणार्थियों ने की जो उस समय गैर कानूनी तरीके से संतरे के बाग में काम करते थे। वह उस स्थान से नजदीक थी जहाँ ट्रकों में रसायनिक पदार्थ भरा जाता था। रसायनिक पदार्थ के निकट झोपड़ी होने के कारण नागंहला बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। जब SWAN नामक संस्था ने इस महिला से मिलने और उसकी सहायता करने की कोशिश की, तब पता चला जिस संतरे के बाग में जहाँ वो काम करती थी उस पर थाई सिपाहियों ने गैर कानूनी प्रवासियों की तलाश के लिए वहाँ धावा बोल दिया। इसलिए वह दूसरे क्षेत्र में चली गई।

**देश – निष्कासन का भय :**

तथ्य यह है कि वे औरतें और बच्चे जो शान राज्य में अपने साथ हुए यौन हिंसा के कारण थाईलैंड चले गए, उन्हें थाईलैंड में किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है और किसी भी समय उन्हें देश निकाला दिया जा सकता है। थाई प्रभुत्व ने गैरकानूनी प्रवासियों के विरूद्ध अभियान शुरू किया और पिछले कुछ वर्षों में शरणार्थियों को न केवल बंदी बनाया गया, बल्कि उन्हें वापस बॉर्डर पर भेज दिया गया।

एक घटना और जो कि इस लेख में दर्ज है चार युवा महिला जो कि थाईलैंड चली गई, जब उन्हे 1996 में उनके गाँव से कहीं और जाने के लिए कहा गया। वह वापस शान राज्य में 1998 में आई क्योंकि थाई प्रभुत्व ने उन्हें देश निकाला किया। तब वे चेंग मय में प्रवासी थे और काम कर रहे थे। यात्रा के दौरान वह अपने परिवारजनों से बिछड़ गए थे, तो उन्होंने थाई बॉर्डर पर वापस जाकर अपने रिश्तेदारों को तलाश करने का निश्चय किया। यात्रा में उनके साथ बलात्कार हुआ। उनके हाथ पैर काटे और SPDC दल द्वारा मार डाला गया।

वे ट्रक से मुरंग नाई गये और सालवीन पार करने के बाद सिपाहियों ने ट्रक चालक को आदेश किया कि औरतों को वहीं उतार दिया जाए और ट्रक को मुरंग टोन ले जाए और औरतों को बाद में भेज दिया जाएगा। दो दिन के बाद एक सिपाही कैम्प से खाना खरीदने मुरंग टोन आया और उसने बतायाकि उन औरतों के साथ उस दिन बलात्कार किया गया जब उन्हें बंधक बनाया गया और अगले दिन उनकी छातियों को काट दिया गया और उन्हें मार डाला गया और उनके मृत शरीरों को दफना दिया गया। (केस 48)

बर्मीस बॉर्डर कि तरफ यौन हिंसा की कोई कमी नहीं हैं। जुलाई 1999, 11 शान महिलाओं के साथ यौन हिंसा थाई सेना के कर्मचारियों द्वारा हुई, जब उन्हें देश से बाहर वापस उत्तरी बर्मा चाईंग मेई में भेजा जा रहा था। इनमें से दो महिलाओं ने घटना के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की। परन्तु उन्हें डराया-धमकाया गया और पैसे दिए ताकि वो अपना मुँह ना खोले।

**यौन हिंसा अंतराष्ट्रीय अपराध :-**

प्रचीन काल में, बलात्कार को स्त्रीजाति की प्रतिष्ठा और सम्मान पर चोट माना गया। पिछले कुछ दशक में देखा गया है कि युद्ध के दौरान स्त्री के साथ हुए व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण सुधार आए हैं। सबसे बड़ा सुधार यौन हिंसा को एक अंतराष्ट्रीय अपराध मानकर किया गया है। बलात्कार को मानवता के विरूद्ध अपराध मानने के लिए युगोस्लेविया और खोड़ा में हुए अपराध को दर्शाने के लिए न्याय कि मूर्तियाँ स्थापित की गई। न्याय कि मूर्ति खांडा में ये दर्शाती है बलात्कार-वेश्यावृति के लिए दबाव और दूसरे प्रकार के दुर्व्यवहार इसमें शामिल हैं। दोनों ही मूर्तियों में ये स्पष्ट करती हैं कि यौन हिंसा से जुड़ी विविध दोषारोपी और वे लोग जिन्हें ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, उन्हें अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उनका अपराध मानवता के विरूद्ध है। इससे नतीजा बलात्कार का निकलता है। स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए दूसरों को यातनाएं देना, बलात्कार और यौन हिंसा करना ताकि किसी एक को नुकसान पहुँचा सके पर इससे एक ही नहीं पूरे समूह की हानि है।

न्याय की मूर्तियाँ ''रोम अंतराष्ट्रीय अपराधी न्यायालय द्वारा स्थापित की गई है। जो उन लोगों के विरूद्ध काम करेगी जिन्होंने मानजाति के विरूद्ध अपराध किया है। युद्ध के दौरान हुए अपराध और आक्रमण की वजह से रोम में मूर्तियों की स्थापना की गई जो कि ये स्पष्ट करता है कि बलात्कार और दूसरे हिंसा अंतराष्ट्रीय समुदाय के अनुसार सबसे गंभीर अपराध है और खासतौर पर उनका उल्लेख संघटक व्यायाम के रूप में माना है। जो अपराध मानवता के विरूद्ध है वह युद्ध अपराध है।

सैन्य शक्ति रोम मूर्तियाँ 1 जुलाई, 2002 में शुरू करेगी। जिसका न्यायालय ''होग नेथरलैंड'' में 2003 में स्थापित होने की संभावना है। न्यायालय से यह आशा की जा रही है कि अंतराष्ट्रीय मूर्तियाँ प्राचीन युगोस्लाविया और खांडा को न्याय दिलाएगीं।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत फूर्तीला नही है। ये अपराध के विरूद्ध मार्ग तक दिखा सकती है जब अपराध घटित होने के बाद अपराधी को सैन्य-शक्ति द्वारा न्याय की मूर्ति में लाया जाएगा। न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र किसी घटना में तभी प्रयोग कर सकता है जब वह राज्य जिसके प्रदेश में अपराध

हुआ, या फिर अपराधी की राष्ट्रीयता वाले राज्य में या जहाँ मूर्ति की स्थापना हो। कुछ राज्य न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र मान सकती है। न्यायालय को उन मामलों के ऊपर भी अधिकार क्षेत्र दिया जाएगा अगर वह मामला राज्य द्वारा सभा को सौंपा गया हो।

यह बेबुनियाद है कि 'बर्मा' न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तब आएगी जब तक लोकतंत्र की स्थिति में परिवर्तन हो या पहले ही हो चुका हो। फिर भी विधि-शास्त्र के तथ्यों से ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है कि कौन से अंतराष्ट्रीय अपराध हाल ही में शान राज्य में किए गए हैं। मामले की जाँच-पड़ताल करने और अपराधी को पकड़ना और इससे भी गंभीर अपराध जैसे युद्ध में हुए अपराध, मानवजाति के विरूद्ध अपराध, हत्या, यौन हिंसा और यातनाओं को न्यायालय में ले जाना आदि।

**यौन हिंसा एक यातना :**

बलात्कार को यातना का रूप तब तक नहीं माना जाएगा जब तक सेलेविक जजमेंट जिसका विवरण ICTY द्वारा नवंबर 1998 में हुआ। चार अपराधियों में से एक मुसलमान जिसका नाम हाजिम डेलिक, जो एक दल का सेनापति था। सेलेविक जेल में कानून के विरूद्ध और युद्ध अपराध के खिलाफ दोषी पाया गया। उसने सन् 1992 में जेल में कैद दो बोसनियन सर्व औरतों का बलात्कार किया।

जाँच दल ने पाया कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं था जिसके कारण बलात्कार को अंतराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत पीड़ा देना हैं। जाँच दल का यह निर्णय था कि बलात्कार और यौन हिंसा कड़ी शारीरिक पीड़ा है। जांच दल का काम था अपराधी का पता लगाना। जाँच दल ने ये माना कि इसमें सूचना प्राप्त करना, अपराधी से जुर्म कबूल करवाना, जुर्म करने वाले का पता लगाना आदि शामिल है। वह एक औरत है, इसलिए उसके विरूद्ध हिंसा होती है। यह एक प्रकार की पहचान है। जाँच दल ने माना है कि औरत की पुरानी सोच उनकी विचारधारा ही उसकी यौन हिंसा और बलात्कार का कारण है। यौन हिंसा का दूसरा नाम पीड़ा ICTY मामलों में कहा गया है।

**यौन हिंसा मानवता के विरूद्ध अपराधः**

विस्तृत रूप से या योजनाबद्ध तरीके से मासूम लोगों पर की गई यौन हिंसा को मानवता के विरूद्ध अपराध कहा जा सकता है। चाहे वह युद्ध के सन्दर्भ में हो या शान्ति के। मानवता के विरूद्ध अपराध में हत्या, यंत्रणा, दासता, जेल की सजा, जबरन वेश्यावृति, जबरन गर्भाधान, बलात्कार और दूसरे अमानवीय कृत्य आते हैं जिन्हें जब योजनाबद्ध तरीके से या ज्यादातर आम नागरिकों पर किया जाता है। ये युद्ध अपराध है जो कि या तो अन्तराष्ट्रीय या आन्तरिक सैन्य भेदभाव के कारण किये जाते हैं।

यौन हिंसा को मानवता के विरूद्ध अपराध घोषित करने के सन्दर्भ में कई संशोधन हुए हैं जिनमें यंत्रणा और बलात्कार को मानवता के विरूद्ध अपराध घोषित किया गया है। यौन हिंसा (बलात्कार के अलावा), अमानवीय तरीकों के द्वारा, बंधक बनाना भी मानवता के विरूद्ध अपराध पहचाने गए हैं।

अक्रेस्यू निर्णय ने बलात्कार की परिभाषा देते हुए कहा है कि ''बलात्कार एक युद्ध अपराध है जो बलात्कार को भी दूसरे अपराधों की तरह मानवता के विरूद्ध मानता है। ''

अदालत ने पाया कि बलात्कार योजनाबद्ध तरीके से जनसमूह पर किया गया है। ''अकेस्यू'' ने बलात्कार की परिभाषा को दुबारा से संशोधित करते हुए कहा है कि बलात्कार एक औरत की पवित्रता या परिवार अथवा गाँव के सम्मान पर ही आक्रमण नहीं है बल्कि उसकी अपनी सुरक्षा पर भी आक्रमण है।

अदालत ने यौन हिंसा को परिभाषित करते हुए इसे जबरन नग्नता कहा है और दूसरे अमानवीय कार्यो की तरह इसे भी मानवता के विरूद्ध अपराध कहा गया है। इससे पता चलता है कि यौन हिंसा जबरन यौन संबंध स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है। ''गंभीर यौन आक्रमण'' का वर्गीकरण अमानवीय तरीकों द्वारा मानवता के विरूद्ध अपराध के रूप में किया गया है और इसकी पुष्टि ICTY ने ''फरन्डजा निर्णय'' में की है।

टाडिक केस में इसको टाडिक जो कि ''ढोसनियन सर्व कोर्स'' का सदस्य था और ओमरस्का कैम्प में एक निम्न अधिकारी था को ICTY ने 7 मई 1997 को मानवता के विरूद्ध अपराध अभियुक्त के लिए घोषित किया जिसमें यौन हिंसा भी शामिल थी।

उसे प्रत्यक्ष रूप से यौन हिंसा भी शामिल थी। उसे प्रत्यक्ष रूप से यौन हिंसा में लिप्त होने के लिए अभियुक्त नहीं घोषित कि अपितु उसके योजनाबद्ध तरीके से डराने का अभियान चलाने के लिए दोषी पाया गया। इस निर्णय से पता चलता है कि बलात्कार और यौन हिंसा को योजनाबद्ध तरीके से आम नागरिकों को डराने के अभियान में शामिल किया जा सकता है। इस बात को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि बलात्कार व्यापक या योजनाबद्ध तरीके से किया गया लेकिन यह भी अनेक अपराधों में से एक था।

ICTY स्टेच्यू अनुच्छेद 5(9) और ICTR स्टेच्यू अनुच्छेद 3 रोम मूर्ति अनुच्छेद में यौन हिंसा को मानवता के विरूद्ध अपराध पहचाना गया है। जिसमें अनुच्छेद -(1)g के अन्तर्गत बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृति, जबरन गर्भाधान, जबरन नसबंदी और दूसरी तरह की यौन हिंसा आती है।

अकेस्यू निर्णय का गद्यांश 697 देखें। मुसेमा निर्णय सफा नोट 20 भी देखें। मुसेमा को भी मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया क्योंकि आम नागरिकों पर व्यापक अथवा योजनाबद्ध तरीके से किये गये बलात्कार के बारे में उसे पता था।

## अभियोजक टाडिक निर्णय 7 मई, 1997 (टाडिक निर्णय)

ईविड़ गद्यांश 704 और 649, अभियोजक बलासिक भी देखें छवण प्ज 95-14, निर्णय (3 मार्च 2000) गद्यांश 203 जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया है, कि मानवता के विरूद्ध अपराध क्या है। अदालत ने चार घटक बताये हैं जो योजनाबद्ध आक्रमण के अन्तर्गत आते हैं (अ) आम नागरिकों के बहुत बड़े समुदाय के विरूद्ध अपराधिक कार्य अथवा बार-बार या लगातार अमानवीय कार्य। (ब) किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए किसी एक समुदाय को कमजोर करना। (स) स्थानीय या निजी साधनों का इस्तेमाल चाहे वे मिलिटरी के हो या कोई और (द) उच्चस्तरीय राजनैतिक या फौजी विभागों का क्रमबद्ध तरीके से स्थापना।

ICTY द्वारा बलात्कार को पहली बार मानवता के विरूद्ध अपराध साबित करना कुनार्क, कोवाक और ब्यूकोविक निर्णय में 22 फरवरी 2001 में प्रकाशित हुआ था। ट्रायल चैम्बर प्प ने पाया कि ''बोसनियन सर्व फोर्स के सदस्यों ने बलात्कार को एक आतंक फैलाने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग वे कभी भी और कहीं भी किसी पर भी कर सकते थे। दूसरे कारकों के अलावा। अदालत ने यह भी पाया कि अभियुक्तों का यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आम नागरिकों पर किया गया। उन्हें यह पता था कि यह अभियान मुसलमानों को उस इलाके से निकालने के लिए चलाया गया था। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने मुस्लिम आम नागरिके को इस तरह आतंकित किया कि उनके लिए वापिस लौटना असंभव था। उन्हें उनके अपराध करने का तरीका भी मालूम था विशेषतया औरतों को अलग-अलग जगह पर बन्दी बना कर रखना और उनके साथ बलात्कार करना। वे सिर्फ आदेश ही नहीं मान रहे थे अपितु मुस्लिम महिलाओं पर बलात्कार भी अपनी मर्जी से कर रहे थे।

कुनार्क, कोनिक और व्यूकोविक ने बंधक बनाकर रखने को भी मानवता के विरूद्ध अपराध माना है। यह निर्णय ICTY ने भी पहली बार लिया। छः महिलाओं को कई महीनों तक यौन दासता के लिए बन्दी बनाकर रखा गया और उन पर उनके बांधकों और अन्यों ने कई बार सामूहिक बलात्कार भी किया। यह निर्णय यौन-दासता को मानवता के विरूद्ध अपराध घोषित करने में एक कानूनी मापदंड है।

### यौन हिंसा एक युद्ध अपराध गंभीर उल्लंघन (1949 जिनेवा कंवेशन और युद्ध के कानून और तरीकों का उल्लंघन

युद्ध अपराध के अन्तर्गत जिनेवा कंवेंशन 1949 के वे गंभीर कानूनी उल्लंघन आते हैं जो व्यापक तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय और आंतरिक सैनिकों के परस्पर विरोध में किये गये।

सारे जिनेवा समझौते के नियम आंतरिक सैन्य विरोध के लिए उचित नहीं थे। बलात्कार के मामले में ''अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानून'' आंतरिक सैनिकों के यौन हिंसा में लिप्त होने को अमानवीय अपराध मानता है। जिनेवा समझौता का आम अनुच्छेद 3 ''किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा'', क्रूर व्यवहार यंत्रणा या किसी के सम्मान पर प्रहार को प्रतिबंधित मानता है। अनुच्छेद 4 (2)e प्रोटोकोल ।। जो आंतरिक सैन्य प्रतिस्पर्धा के दौरान आम नागरिकों की रक्षा करता है। साफतौर पर कहता है कि किसी के आत्मीय सम्मान पर प्रहार या किसी की अवमानना करना अथवा किसी से अनुचित व्यवहार करना, बलात्कार, जबरन वेश्यावृति अथवा किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार मानवता के विरूद्ध है।

ICTY में फरंडजा निर्णय और कुनीक, कोवाक और व्यूकोविक केस में बलात्कार को युद्ध अपराध के रूप में प्रमाणित किया है। फरंडजा निर्णय में ICTY में बलात्कार की युद्ध अपराध के रूप में पुष्टि की है जो कि जिनेवा समझौते के अनुच्छेद 3 (जोकि आन्तरिक सैन्य विरोध से संबंधित है) अदालत ने फरंडजा को युद्ध अपराध में मदद करने और दुरूत्साहित करने का दोषी पाया जो कि एक बोसनियन मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार करने से संबंधित था।

फरंडजा को अपने से नीचे के अधिकारियों को अपराध करने में मदद करने, उन्हें उत्साहित करने और उन्हें नैतिक सहारा देने का दोषी पाया गया जब उसके साथी बोसनियन मुस्लिम महिला से बलात्कार

कर रहे थे और फरंडजा उनसे पूछताछ कर रहा था। कोवाक, कुनीक और व्यूकोविक ने ने बलात्कार को युद्ध के नियमों का दोषी पाया और उसे युद्ध अपराध कहा।

रोम मूर्ति के अनुसार बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृति, जबरन गर्भाधान, जबरन नसबंदी और अन्य किसी प्रकार की यौन हिंसा भी जिनेवा समझौते का उल्लंघन है। (अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य विरोध के दौरान) और अनुच्छेद 3 का गंभीर उल्लंघन है जो चार जिनेवा समझौते के समान है और युद्ध अपराध है।

## बलात्कार के लिए उत्तरदायी होने का आदेश

हालांकि ICTY के ट्रायल चैम्बर ने कुनार्क, कोवाक और व्यूकोविक केस में कहा है कि वह किसी भी नीचे स्तर के अथवा अधीनस्थ को आपराधिक दोषारोपण से बचने नहीं देगा और चाहे शान्ति का समय हो या युद्ध, योग्य व्यक्ति महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करते हैं। ICTY ने कई व्यक्तियों को यौन हिंसा जैसे अपराधों के लिए उत्तरदायी पाया। उत्तरदायी होने का सिद्धान्त उन उच्च अधिकारियो को उसी स्थिति में रखता है जो काम उनके अधीनस्थ अधिकारियों में किये थे।

सेलिबिसी निर्णय में ICTY ने जद्रवको म्यूकिक को उत्तरदायी होने का आदेश के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन करने का दोषी पाया। अदालत ने कहा सेलिबिसी जेल कैम्प में किये गये अपराध इतने ज्यादा और दुष्प्रचारित थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूकिक ने उनके बारे में न सुना हो और उसे उनका ज्ञान न हो। उन अपराधों में बलात्कार और यौन प्रहार जैसे अपराध शामिल थे जो म्यूकिक के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये गये थे।

बलासकिक निर्णय में ICTY ने तिहोमीर बलासकि, जोकि कोशियन डिफेन्स काउन्सिल में सैन्य शक्ति का कर्नल था और सेन्ट्रल बोसनिया आपरेटिव जोन का मुखिया था को मानवीय कानून का उल्लंघन जिसमें युद्ध अपराध, गंभीर उल्लंघन, मानवता के विरूद्ध अपराध जोकि बोसनियन मुस्लिम आबादी के विरूद्ध दिये गये थे, शामिल हैं। जिसके आधार पर उसने आदेश दिया, योजना बनाई, उकसाया अथवा अपराध करने में सहायता की।

## निष्कर्ष

इस रिपोर्ट में दिये गये सबूतों से यह प्रकट होता है कि बर्मा में सैन्य शासन में बलात्कार को एक योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक स्तर पर युद्ध के हथियार की तरह शान राज्य की मानव जातीय जनसंख्या के विरूद्ध इस्तेमाल कर रहा है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि राज्य में बढ़ती हुई सैन्य गतिविधि यों ने वहाँ की औरतों और लड़कियों को बलात्कार के लिए ज्यादा नाजुक बना दिया है।

ICTY और ICTR द्वारा न्यायशास्त्र को परखने के बाद यह पाया गया कि यौन हिंसा एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है और यह स्पष्ट किया गया कि युद्ध अपराध और मानवता के विरूद्ध अपराध बर्मा सेना ने शान राज्य में किये।

ऐसी अवस्था में, यौन हिंसा भी अंतराष्ट्रीय अपराध है जिसका अर्थ है सिर्फ हानि पहुँचाना। जैसा कि

जांच दल ने उल्लेख किया गया है कि अपराध के विरूद्ध कार्य करना और अपराध को होने से रोकना, यह अभ्यास हानि पहुँचाने वाले सभी भागों में और प्राचीन जाति दल के विरूद्ध किया जाता है। इस अभ्यास में दल के सदस्यों की हत्या, गंभीर शारीरिक और मानसिक हानि पहुँचाना, अपने बच्चों को दूसरे दलों में जाने के लिए बाध्य करना।

इस दल का लक्ष्य पीड़ित लोगों को बचाना और उन लोगों को दंड देना है जो की उनके दल के सदस्यों को नुकसान पहुँचाते हैं। जब यौन हिंसा हानि पहुँचाने के संकल्प से होती है तब उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट करने की बात सोची जाती है। यह उस दल के सदस्यों पर होती है जिनका लक्ष्य भौतिक हानि करने का होता है। इसलिए ये बनावटी माना जाएगा की यौन हिंसा को दूसरे अपराध से भिन्न है। जाँच दल ने यह विश्वास दिलाया है कि यौन हिंसा हानि पहुँचाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से की जाती है।

**राज्य शांति और प्रगति विभाग के नाम :**

1. पूरे राष्ट्र में सैनिकीकरण और नारेबाजी जल्द से जल्द बंद की जाए।
2. प्रजातंत्र विरोधी व प्राचीन राष्ट्रवादी बर्मी लोग आकर बर्मी सरकार से पूरे राष्ट्र के हित में बातचीत शुरू करे।
3. ''जनेवा राजनैतिक दल'' 12 अगस्त 1949 व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हथियारों के इस्तेमाल मासूम लोगों पर रोके जाए, बच्चों और औरतों पर खासकर रोका जाए।
4. बलपूर्वक बच्चों से काम कराने पर रोक लगा दी जाए तथा बच्चों को उनके पूरे अधिकार दिए जाएं।
5. पुलिस कर्मचारियों द्वारा औरतों पर शोषण और लोगों को मारना-पीटना और बलपूर्वक काम करवाने आदि पर रोक लगाई जाए।
6. बेघर लोगों को रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए जाएं और जो वापस अपने राज्य में लौटना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित पहुँचाया जाए। महिलाओं और लड़कियों को बॉर्डर पर राष्ट्रवृति से रोका जाए।
7. बच्चों और औरतों को उनके विषेष अधिकारों से वंचित न किया जाए तथा उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तथा उन्हें हर प्रकार के शोषण से बचाया जाए।
8. जो औरतों और बच्चों पर शोषण करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

**थाइलैंड की शाही सरकार के काम :**

1. थाई-शान बॉर्डर पर शान के लोगों की सुरक्षा की जाए एवं शरणार्थियों को रहने की आज्ञा दी जाए।
2. शान के लोगों को पूरे मानव अधिकार दिए जाएं।
3. शान के बेघर लोगों को पूरा काम व रहने का स्थान दिया जाए।
4. शान की महिलाओं को बर्मी सैनिकों को न सौंपा जाए।
5. थाईलैंड और बर्मा की सरकारों को अंतराष्ट्रीय कानून के अनुसार वहाँ के लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाए, विशेष कर बर्मी लोगों को।

**अंतराष्ट्रीय स्तर के काम :**

1. मान अधिकारों का शोषण न किया जाए जो की अधिकार प्राचीन बर्मी राज्य में होता है।
2. एक प्रजातंत्र राष्ट्र की तरह यहाँ भी सब लोगों को मानव अधिकार दिए जाएं तथा प्राचीन कानूनों में परिवर्तन लाया जाए।
3. आम जनता पर अत्याचार बंद किए जाए और UN एजन्सियों और NGO से मदद ली जाए।

**संग्रह : 1 – साक्षत्कार का विवरण (28 मामले)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | नाम | – | ''यामी'' (वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | – | 19 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | धर्म | – | ईसाई |
| | क्षेत्र | – | लाहू |
| | वृति | – | किसान |
| | स्थान | – | लाहू गाँव, मूर्ग सार्ट |
| | घटना की तिथि | – | 8/3/1991 |
| | एस. पि. डि. सि. सेना | – | 1 B-49 शाखा 3 मूल, मुर्ग-सार्ट |

एक रात में और मेरे मित्र फिल्म देखकर वापस लौट रहे थे। घर पहुँचने के लिए सीधे सड़क के बजाए खेत के रास्ते से जाने का सोचा। हमारे रास्ते में SPDC सेना 1B 49 शाखा 3 मूल मुर्ग सार्ट नगर का सिपाही सामने आया। उसने मुझे पकड़ा और मेरे मित्रों को चले जाने को कहा। मेरे मित्र भयभीत हो

रहे थे और वह गाँव वापस लौट गए। मैने उनसे छोड़ देने की विनती की, पर उस सिपाही ने मेरी एक न सुनी और मुझे सड़क के किनारे ले गया और मेरा बलात्कार किया।

घटना के बाद मुझे कोई आशा नहीं थी, मैं प्रमुख से शिकायत करना चाहती थी, पर मुझे सैनिक का भय था। घटना से पूर्व कभी-कभी सरदर्द और कमजोरी महसूस होती थी, पर उस घटना के पश्चात् मेरा सरदर्द और कमजोरी बढ गई। मैं रात को सो नहीं पाती थी, जब मैं घटना के बारे में सोचती तो मेरा हृदय जोर से धड़कने लगता फिर मुझे हर पुरूष से डर लगने लगा।

मेरे परिवार वालों ने भी मुझे नहीं समझा और मेरी परवाह नहीं की, उन्होंने मुझे अस्वीकार किया और मेरे मित्र मुझे गलत निगाह से देखने लगे। मैं बिल्कुल अकेली और उदास पड़ गई। यह घटना 1991 में हुई, जब मैं दसवीं कक्षा में थी। जिस दिन मेरे साथ बलात्कार हुआ उसके कुछ दिन बार ही मेरी दसवीं की परीक्षा थी पर मैं उस स्थिति में नही थी कि मैं परीक्षा दे सकूँ। उस घटना ने मेरे पूरे जीवन को नष्ट कर दिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | नाम | : | नांगखिन (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | : | 17 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | : | अविवाहित |
| | क्षेत्र | : | शान |
| | वृति | : | किसान |
| | धर्म | : | बौध |
| | स्थान | : | नेग लोन गाँव, नार र्वोण क्षेत्र, मुर्गपान |
| | घटना की तिथि | : | 17.6.1991 |
| | SPDC सेना | : | CO. 4 LIB 332, कप्तान मोंग-मोंग सो। |

दिनांक 17.6.1991 को 50 SPDC सैनिक Co. 4 LIB 332 कप्तान मोंग-मोंग सो के नेतृत्व में मुर्गपान नगर के बाहर गश्त कर रहे थे। सेना ने नांगखिन को गाँव में अकेली आते हुए देखा, वो अपने खेतों से आ रही थी। नांगखिन खेत से जल्द आ रही थी, क्योंकि उसे अपने घर की सफाई करनी थी और अपने परिवार के लिए भोजन पकाना था। सेना ने उसे देखा उसे रोका और उससे अनेकों प्रश्न पूछे और उसे अपने साथ ले गये। रात होने पर भी उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। सेना ने उसे उनके साथ भोजन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा भोजन के बाद उनका दल गांव जाएगा। नांगखिन ने भोजन नहीं किया। वह अकेली और उदास बैठी रही उसे डर लग रहा था जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया तो कप्तान ने कहा कि यह समय निकलने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो रात यहीं बिताएंगे।

ये सुनते ही नांगखिन रोने लगी। कप्तान उसके निकट गया और उसका बलात्कार करना चाहा। जब वो शोर मचाने लगी और जोर-जोर से रोने लगी तो कप्तान ने कहा अगर तुम अपने मां-बाप से मिलने अपने घर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेना ने उसे 4 रातें 5 दिन तक आजाद नहीं किया और अपने साथ रखा और अंत में उसे गांव के बाहर छोड़ दिया।

जिस समय नांगखिन लापता हुई तो गांव के लोगों का शक बर्मी सेना पर गया, उन्होंने खेतों के निकट बर्मिस सेना के पैरों के निशान देखे। जब नांगखिन के परिवार वाले खेतों से काम करके अपने घर पहुँचे और अपनी बेटी को घर में न पाया तो उसके 43 वर्षीय पिता लूंग सूये ने गांव के मुखिया लूंग केन्ना से अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी। उसके बाद मुखिया उन्हें उसे क्षेत्र के मुख्य के पास ले गया, जिसे पूरा गांव जानता था फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ उसके पास वापस लौटने की प्रतीक्षा ही कर सकते थे।

जब अन्त में वह वापस लौटी, उसने अपने मां-बाप को पूरी घटना का विवरण दिया। वो 2-3 दिन तक बीमार रही। उसके परिवार वालों ने उसको मुर्गपान के अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टरों ने उसे दो रातों और दो दिन तक अस्पताल में रहने को कहा। अस्पताल से वापस आने पर उसे 25 दिन तक घर पर ही रहना था। फिर कुछ समय बाद वह अपने परिवार साईनार लार और नांग टूनमिंट के साथ थाईलैंड चली गई। तब से वो थाईलैंड में रहने लगी और फिर वहीं उसकी शादी हो गई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | नाम | : | नारलै (वास्तविक नाम नहीं) |
| | आयु | : | 26 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | : | विवाहित, 2 बच्चे, 6 और 9 वर्षीय |
| | क्षेत्र | : | लाहू |
| | धर्म | : | इसाई |
| | वृति | : | किसान |
| | स्थान | : | लाहू गांव, मुर्ग-सार्ट |
| | घटना की तिथि | : | मई, 1992 |
| | SPDC सेना | : | LIB 333, मुर्ग-सार्ट |

मैं जंगल में एक छोटे से झौंपडे में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वहां हम अपने बैलों और गायों की देखभाल करते थे। एक दिन मेरे पति दोनों बच्चों को लेकर पक्षी का शिकार करने के लिए जंगल में गये थे। मैं झोपड़ी में अकेली थी। एक SPDC सैनिक LIB 333 जो मूल दल से था

हमारे आंगन में से केला चुराने आया। मुझे बर्मीस नहीं आती थी। फिर भी मैं उसके पास अपना केला वापस मांगने गई, मैंने अपने पति को आवाज लगाई वे जंगल में बहुत अन्दर थे, जिसके कारण उन्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। फिर उस सैनिक ने मुझे पकड़ा और मेरे पैरों पर मारा जिससे मैं गिर गई, फिर उसने मेरी टांगे पकड़ी, वह मुझसे ज्यादा बलवान था। उसने डेढ़ घंटे तक मेरा बलात्कार किया।

जब मेरे पति वापस लौटे, तो मैंने घटना के बारे में बताया वो मुझ पर क्रोधित हुए और मुझे मारा। बलात्कार की घटना के बाद मेरे पति और मेरे बच्चे मुझसे घृणा करने लगे। हर समय मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे वैश्या कहकर ताने देते। मुझे इन बातों से बहुत दुख होता। मुझसे जब तक सहा गया तब तक मैंने सहा पर अन्त में मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। फिर जब भी मैं अपने बच्चों से मिलने जाती तो वो मुझे दुत्कार देते और घर से निकालते थे। मेरा पति कहता कि तुम मेरी पत्नी नहीं थी। ये घर छोड़ दो। आखिर मैंने थाईलैंड आने का निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | नाम | : | नांग–जेग (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 16 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | स्थान | – | नैमनोर गांव, वानजिद क्षेत्र |
| | घटना की तिथि | – | 24.8.1992 |
| | SPDC सेना | – | Co.3, IB 99, कप्तान मोंग सोए। |

पाँच SPDC सेना कप्तान मोंग सोए के नेतृत्व में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तब नांग–जेग और उसकी 38 वर्षीय मां बासार को देखा, 4 सिपाही बासार को दूसरे स्थान पर ले गये और उसका बलात्कार किया। दूसरी जगह कप्तान उसकी बेटी का बलात्कार कर रहा था। बलात्कार करने के बाद सिपाहियों ने गन्ने खोदे और अपने साथ ले गये।

जब बासार अपने घर पहुंची तो उसने अपने पति को जो कि 44 वर्षीय थे उन्हें सब कुछ बताया। वह बहुत क्रोधित हुए, फिर भी उन्होंने गांव के मुखिया को पाँच दिन की घटना की जानकारी नहीं दी। जब मुखिया को पता चला तो उसने कहा कि तुमने मुझे घटना के तुरन्त बाद ही क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बताने के लिए इतना समय क्यों लगाया? उसने कहा घटना को इतने दिन हो गए हैं, इसलिए मुझे सेना को बताने से डर लग रहा है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | नाम | – | नांग चेम (वास्तविक नाम नहीं है) |

| | | |
|---|---|---|
| आयु | – | 22 वर्षीय |
| सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| राज्य | – | शान |
| धर्म | – | बौध |
| वृति | – | किसान |
| स्थान | – | ना बैंग पाई गांव, मेई हेई क्षेत्र, मुर्ग नेई |
| घटना की तिथि | – | जुलाई 1994 |
| SPDC सेना | – | Co.2, IB 64, अधिकारी सोए मोंग न्यौ |

4 SPDC सेना जिसका नेतृत्व सोए मोंग न्यौ कर रहे थे जो कि क्षेत्र में गश्त पर थे। सेना ने देखा नांगचेम छोटे से झोपड़े पर अपने खेतों पर आराम कर रही थी। सेना ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसके निकट जाकर उसका बलात्कार करना चाहा। दो सिपाहियों ने उसका बलात्कार किया तब उसके 38 वर्षीय मां, बान्यूंट ने शोर मचाया कि बर्मीस सेना उसकी बेटी का बलात्कार कर रही है। जब सिपाहियों ने सुना तो उन्होंने उस पर बन्दूक तान दी और उसको मार–मार कर बेहोश कर दिया। उसके बाद 3 सिपाहियों ने उसकी बेटी का बलात्कार किया। फिर सिपाहियों ने उसके खेत से कद्दू और लौकी चुरा ली।

'बान्यूंट' ने घटना की शिकायत गांव के मुखिया को दी। मुखिया ने वादा किया कि वो प्रदेश के मुखिया से शिकायत करेगा। पर कुछ नहीं हुआ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | नाम | – | नारलू (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 21 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | राज्य | – | लाहु |
| | धर्म | – | ईसाई |
| | वृति | – | किसान |
| | स्थान | – | लाहु गांव, मुर्ग–सार्ट नगर, |
| | घटना की तिथि | – | अप्रैल 1997 |
| | SPDC सेना | – | मुर्ग सार्ट छावनी |

मेरा अधिकतर समय अपने बैलों की देखभाल में बीतता है। मैं थक गई थी, बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं घर चली गई, अपने घर का दरवाजा बंद करके सो रही थी तब मुर्ग सार्ट छावनी का एक सिपाही मेरे घर की दीवार चढकर मेरे कमरे में कूद गया। मैं उठी तो देखा सिपाही मेरे कमरे में था। उसने मुझे देख लिया और मेरी तरफ दौडा अैर मुझे पकड़ लिया। मैंने शोर मचाया पर मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आया। अन्त में सैनिक ने मेरा बलात्कार किया। जब वह मेरा बलात्कार कर चुका था तो मैंने तुरन्त उठकर चाकू ढूंढा ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं।

हमारे गांव में दोपहर के समय सभी अपने खेतों पर काम करते हैं, इसलिए कोई भी अपने घर में नहीं था। जब गांव का मुखिया शाम को अपने खेत से वापस लौटा, मैंने उसे सब कुछ बताया। फिर उसने SPDC के सामान्य छावनी के सेनापति से शिकायत की। सेनापति ने उस सैनिक को पकड़ा जिसने मेरा बलात्कार किया और उसे बांध कर पीटा और बाद में जेल में डाल दिया। मेरा परिवार मेरे साथ ही था और उन्होंने मेरी इस घटना से उभरने में सहायता की। परन्तु मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और खेतों पर खूब मेहनत की।

53. नाम - नाशी (वास्तविक नाम नहीं है)

आयु - 29 वर्षीय

| | | |
|---|---|---|
| सामाजिक स्थिति | - | विवाहित, दो बेटे और एक बेटी |
| राज्य | - | लाहु |
| धर्म | - | ईसाई |
| वृति | - | किसान |
| स्थान | - | लाहु गांव, मुर्ग-टोन, |
| घटना की तिथि | - | 16.7.1998 |
| SPDC सेना | - | मुर्ग टोन स्थित |

घना वाले दिन, मैं शाम के 5 बजे खेत से काम करके लौट रही थी। रास्ते में मुझे मुर्ग टोन स्थित एक SPDC सैनिक ने रोका मैं डर गई थी। मैंने उसकी ओर नहीं देखा। उसने मेरी बांह पकड ली और मुझे जाने से रोका। उसने कहा, रूको! मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, फिर उसने मेरे स्तनों को छुआ, मैं डर गई मैंने शोर मचाया, फिर वो मुझे सड़क के किनारे ले गया और मेरा बलात्कार किया। मैंने उससे छोड़ने के लिए विनती की पर उसने मेरी न सुनी। मैं बेहोश हो गई, जब मुझे होश आया तब 7 बज चुके थे। मुझे कभी इतनी देर नहीं हुई थी। फिर मैं जल्दी से अपने घर गई और अपने पति को घटना के बारे में बताया वे बहुत परेशान हुए। मेरे पति मुखिया के पास गए और शिकायत की, क्योंकि मैं उस सैनिक का नाम और उसकी पलटन की संख्या नहीं जानती थी। इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए।

112. नाम – नांग थवे (वास्तविक नाम नहीं)

| | | |
|---|---|---|
| आयु | – | 18 वर्षीय |
| सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| राज्य | – | शान |
| धर्म | – | बौध |
| वृति | – | किसान |
| स्थान | – | बेंग योंग गांव, वानलर क्षेत्र, लाईखा बेंग योंग की वानलर क्षेत्र में 16.4.1997 में बदल दिया गया। |
| घटना की तिथि | – | 16.5.2000 |
| SPDC सेना | – | Co.2, LIB 515, कप्तान टुन ओंग |

60 SPDC सैनिक लाईखा से वानलेर में गश्त के लिए आए। उन्होंने गांव में प्रवेश किया और गांव के घरों की तलाशी ली। उस समय कुछ गांव वाले अपने खेतों पर थे, और नांगथवे अपने घर में अकेली थी। जब कप्तान ने देखा वो घर में अकेली है तो उसने उसे घर के अन्दर आने को कहा, बिना कोई सवाल किए। नांगथवे ने सोचा कि घर की तलाशी के लिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। पर जैसे ही वह सोने वाले कमरे में पहुँची कप्तान ने उसे पकड़ लिया और पिस्तौल दिखा कर उसे डराया। उसने कहा अगर तुम मरना चाहती हो तो शोर मचाओ। उसने उसका बलात्कार सुबह 9 बजे से दोपहर के 12. 30 बजे तक किया।

अंत में वो चला गया और जब उसके मां–बाप शाम को खेत से लौटे, नांगथवे रो रही थी। उसने उन्हें सब कुछ बताया। जब उसके पिता ने सुना तो उन्होंने गांव के मुखिया से शिकायत की। तीन दिन बाद गांव के लोग नांगथवे को लेकर प्रभुत्व के पास शिकायत करने गए। वहां के कप्तान ने उनसे पूछताछ की, कप्तान ने नांगथवे को सैन्य छावनी में बुलाया ताकि वो बलात्कारी को पहचान सके। कप्तान ने सैनिकों को एक साथ खड़ा करा और पहचानने के लिए कहा। पर जब वो किसी को भी पहचान नहीं पाई तो कप्तान ने गांव के लोगों से जुर्माना मांगा 30,000 रूपये। गांव के मुखिया लुंग सो को 20,000 रूपये जुर्माना देना पड़ा और नांगथवे के पिता को 15,000 रूपये देने पड़े और अगर वो जुर्माना नहीं देते, तो उन्हें 10 साल तक जेल में रहना पड़ता।

नांगथवे तीन महीने तक बीमार रही पर कुछ समय बाद ठीक हो गई। उसके रिश्तेदारों ने उसकी

सहायता की सहायक थे और उन्हें इस घटना के लिए खेद था। वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सैनिकों के पास पिस्तौल और ताकत थी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 119 | नाम | – | नांग योन (वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | – | 16 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | वृति | – | किसान |
| | स्थान | – | हो पाई गांव, हेम गाइ क्षेत्र में बदला गया, मुर्ग कर्ग नगर 27.8.1997 को |
| | घटना की तिथि | – | Co.3, LIB 514, कप्तान थान मोंग |

जुलाई 2000, को 50–55 SPDC सेना के साथ गांव में गश्त कर रहे थे उन लोगों की तलाश कर रहे थे जो गुप्त तरीके से अपने खेत का ध्यान रखते थे। कप्तान थान मोंग ने नांग योन को खेत पर देखा, और उसे बुलाकर झोपड़े में आने को कहा। जब वो झोपड़े के अन्दर पहुंची, उसने उस लड़की से पूछा 'तुम्हारे साथ खेत पर कौन आया है?'

नांग योन ने उत्तर दिया, 'मैं अपने पिता के साथ आई हूँ पर वो इस समय पानी भर रहे हैं। ये सुनते ही कप्तान ने बंदूक की नोक पर उसे डराया और उसका बलात्कार किया, उसने सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक उसका बलात्कार किया, नांगयोन ने उससे छोड़ देने की विनती की, पर उसने उसे 3 बजे तक नहीं छोडा।

उसने अपने परिवार जनों से शिकायत तो की पर किसी में भी सेना से शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। वो ये तो चाहते थे कि उन्हें न्याय मिले, पर वो जानते हैं कि जो लोग बलात्कार की घटना की शिकायत करेंगे उनसे बलपूर्वक जुर्माना मांगा जाएगा 10,000 रूपये। घटना के बाद नांगयोन उदास रहने लगी वह किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती थीं उसके परिवार ने उसकी स्थिति समझी ओर उसका ध्यान रखा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 133) | नाम | – | नांगथिन (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 18 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |

| | | |
|---|---|---|
| धर्म | – | बौध |
| स्थान | – | केंग टोंग नगर, मुर्ग नाइ |
| SPDC सेना | – | IB 246, कन–हिंग छावनी, कप्तान मिंटो, कर्मचारी सेनविन पो |
| घटना की तिथि | – | जनवरी, 2001 |

नांगयिन 18 वर्षीय लड़की थी जो कि एक दुकानदार की बेटी थी। जिसका नाम लुंगथा जोकि अपनी दुकान में तेल, बीज, चावल आदि बेचा करता था। नांगयिन केंग टोंग नगर के स्कूल में पढती थी। इस कारण वो बर्मीस भाषा के साथ शान भाषा बोल समझ सकती थी।

SPDC सेना वहां की सामान्य सैन्य छावनी से हमेशा उनकी दुकान पर आकर अनाज बेचते थे जो उन्हें सैन्य दल से मिलता था। उनके जीवन व्यतीत करने के लिए। IB 246 की सेना में कर्मचारी सेन विन पो ने नेंगयिन को अपनी छावनी में सस्ते दाम अनाज खरीदने के लिए बुलाया।

नांगयिन पहली बार अकेली उनकी छावनी में जनवरी, 2001 को गई। जब वह वहाँ पहुँची तो उसने देखा बहुत से सैनिक, कप्तान उनकी छावनी से दूर थे। आसपास के इलाके में गश्त कर रहे वहाँ अभी भी कुछ सैनिक थे जिनमें से एक सेनविन पो भी था। छावनी में अकेली आते समय उसे सेनविन पो और दूसरे दस सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बंदी बनाया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लगातार चार दिन तक। उसके परिवार जन उसे हर जगह तलाश कर रहे थे, अन्त में उसे चौथे दिन रिहा कर दिया। उस लड़की ने गांव के मुखिया को घटना का विवरण दिया और अपने एक रिश्तेदार से चिकित्सा कराई जो कि एक नर्स थी।

गाँव वालों ने उसे कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई सुरक्षित स्थान है, तो वहाँ चली जाओ। तुम्हे दुबारा उन सैनिको के सामने नही आना चाहिए, फिर नांगचिन वहाँ नहीं रही। वह अलग–अलग रिश्तेदारों के घर जाकर रहने लगी। उसके माता–पिता उसके लिए बहुत चिंतित थे पर उनमें इतना बल नही था कि वे जाकर प्रभुत्व से शिकायत करे। गाँव के लोग सैनिकों से क्रोधित थे, उन्हें दोषी कहा गया जो भी घटना घटी उसके लिए जब गाँव के मुखिया ने गाँव की लड़कियों से पूछताछ की तो बहुत सी लड़कियों ने नांगयिन की घटना के बारे में बात की।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 135) | नाम | – | आरफ्यु (वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | – | 24 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | दो वर्ष पूर्व विधवा, 14 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 3 वर्षीय लड़के की माँ |
| | राज्य | – | अखा |

| | | |
|---|---|---|
| धर्म | - | बौध |
| वृति | - | ईसाई |
| स्थान | - | वानपाखे गाँव, नेम हंग क्षेत्र, तारवीलेक |
| घटना की तिथि | - | LIB 359, ताखिलेक नगर |

लेख - जब मेल्यु 10 वर्ष की थी, तब उसकी टाँगे बीमार रहने के कारण खराब हो गई। जिसके कारण वह ठीक से चल नही पाती। बलात्कार से दो वर्ष पूर्व, आरफ्यु के पति 30 वर्षीय 'आहखो' को SPDC सेना ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। उसके पति सेना के लिए कार्य करते थे, आरफ्यु तो ठीक प्रकार से उसके पति की हत्या करने वाले पलटन के सिपाही को पहचानती भी नही थी। फरवरी, 2001 को LIB 359 ताखिलेक के सात सिपाहियों के साथ उसके निकट आया और उसे मार डालने की धमकी दी। आरफ्यु को बर्मीस भाषा नही आती थी इसलिए उसे सैनिक की बात समझ नही आई और उसके पैर कमजोर होने के कारण वो भाग भी नही सकती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और उसका बलात्कार 1 घंटे तक किया। गाँव वालो ने उसकी चीख सुनी और उसकी मदद करने के लिए भागे।

आरफ्यु ने घटना की शिकायत मुखिया से की। वह बीमार नही हुई, पर साक्षात्कार के समय वह तीन महीने की गर्भवती थी। बलात्कार की घटना के दो दिन बाद शान सेना और बर्मीस सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण उसकी चिकित्सा को रोका जा रहा था। आरफ्यु का गाँव बर्मीस छावनी के नजदीक था, इसलिए युद्ध मे हो रहे धमाके उसे उसके गाँव मे सुनाई देते थे। उसे और उसके बच्चों को बलपूर्वक उस स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। शान राज्य के और भीतर थाइलैंड के बार्डर से दूर। वो वहाँ 4-5 दिन रहे 1 DP के ठहराव बार्डर पर जाने से पहले।

वह अपने परिवारजनो के साथ छावनी तक गई क्योंकि उनके माता पिता इसी गाँव में नहीं रहते थे। एक दिन जब वर्षा नहीं हो रही थी, आरफ्यु अपने पड़ाव से चाय के बागान में काम करने गई। वो पहले ही निकली क्योंकि उसके पैर खराब थे जिस कारण उसे पहुँचने में समय लगता है। उसे 1 किलो चाय की पत्तियों के लिए 3 बेहत मिलते थे और एक दिन उसने- 30-40 बेहत कमाए उसके काम के लिए। साक्षत्कार के समय बहुत से लोग कार्य की तलाश में थे, जिसका अर्थ है ऐसा भी कोई समय था जब आरफ्यु के पास काम नहीं था।

उसके परिवार को जब ये पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्होंने उसे शादी करने के लिए कहा। अगर दूसरे लोगो को ये पता चल गया कि वो बर्मीस बच्चे की माँ बनने वाली है। आरफ्यु ने कहा,'' ऐसा किसे अच्छा लगेगा? वो किसी भी सैनिक से विवाह नहीं करना चाहती थी।'' आरफ्यु कहती है की वह यह जानती है कि यह मेरा मुश्किल समय है, पर वह यह नहीं चाहती की मेरे बच्चों को सौतेला पिता मिले। कुछ पुरूष सिर्फ स्त्री से ही प्रेम करते हैं पर उनके बच्चों से नही, अगर मैने एक बार विवाह कर लिया तो मैं तलाक नहीं ले पाऊँगी।

उसके साथ एक और परेशानी थी कि वह अनपढ़ थी और थोड़ी ही शान समझती थी। ''मुझे नही

पता कि घटनाओं का कैसे सामना करूँ'', आरफ्यु ने कहा। उसके पति के देहांत के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहेगी। उसके पिता हमले के समय ही बीमार हुए और मर गए, उसकी माँ उससे मिलने उसके पड़ाव पर आया करती थी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 136) | नाम | - | नांग-खे (वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | - | 18 वर्षीय सबसे छोटी बेटी |
| | सामाजिक स्थिति | - | अविवाहित |
| | राज्य | - | शान |
| | धर्म | - | बौद्ध |
| | वृति | - | चौथी कक्षा की विद्यार्थी, किसन |
| | स्थान | - | नोंगटाओ गाँव, नोंग लोंग क्षेत्र, लांग्खेर |
| | घटना की तिथि | - | 29/3/2001 |
| | SPDC सेना | - | CO.4 LIB 525, कप्तान सोएनिंट |

18 वर्षीय नांगरवे अपने खेत में अपनी गाए की देख-रेख के लिए गई थी। उसी समय SPDC सेना जो की CO.4 LIB 525 कप्तान सोएनिंट के नेतृत्व में गश्त कर रही थी और उन्होने नांग्खे को खेत पर देखा। कप्तान ने उसे बुलाया उसके सामने आते ही उसने लड़की को पकड़ा और बलात्कार किया। वह लड़की रोई और चिल्लाई, पर कप्तान ने उसे नहीं छोड़ा। नांग्खे ने अपने घरवालों को घटना के बारे में बताया और उसके चाचा ने गाँव के मुखिया के पास जाकर शिकायत की। शान पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कहा की आप चिंता न करे क्योंकि वो जानता था कि गाँव वाले कुछ नही कर सकेंगे और कप्तान सोएनिंट को कोई खतरा नही है। घटना के बाद, नांगरवे, क्रोधित, उदास और लज्जित रहने लगी। अंत में वो बॉर्डर के पास थाइलैंड चली गई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 138) | नाम नांग | - | मी( वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | - | 5 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थति | - | अविवाहित |
| | राज्य | - | शान |
| | धर्म | - | बौद्ध |
| | वृति | - | |
| | स्थान | - | बसार गाँव, केंगटांग, मुर्गनाई नगर |

| | | |
|---|---|---|
| तिथि | – | मार्च 2001, |
| SPDC सेना | – | 1 B 99 केंद्रित बर्मा के मिथैला और मिंचेन, बसार गाँव में नई छावनी |

नांग–नी अपने पिता और माँ, बहन के साथ बसार गाँव में रहती थी। मार्च 2001, जब नांग्नी पाँच वर्ष की थी, उसके माता–पिता अपने खेत में काम करने के लिए नांग–मी को अपने 12 वर्षीय बेटी के साथ छोड़ कर गए थे। उस रात उसकी बड़ी बहन फिल्म देखने बाहर चली गई। फिल्म 9 बजे खत्म हुई और उनका घर अन्य घरों से दूर था। इसलिए नांगमी अकेली थी।

7 बजे, एक 1 B 99 का SPDC सिपाही उसके घर के भीतर आया, उसने नांगमी के हाथ–पैर रस्सी से बांध दिए और उसका बलात्कार किया। जब उसकी बहन फिल्म देखकर लौटी तो उसने देखा नांग–मी रस्सी से बंधी हुई है और रो रही है, और उसके यौन अंग खून से लथपथ थे। उसके आस–पास कोई भी नहीं था। नांगमी अपनी बहन को बताने से डर रही थी क्योंकि सिपाही ने उसे भयभीत किया था अगर वो किसी से कहेगी तो उसे मार डालेगा। एक पड़ोसी आया और बच्ची को अस्पताल ले गया। लड़की ने हिम्मत जुटा कर डॉक्टर को घटना के बारे में बताया, डॉक्टर ने उसे दवा दी और उसकी कुछ तस्वीरें खींची लेख के लिए। लड़की के परिवार ने गाँव के मुखिया से शिकायत की, पर वो सैनिक के पास जाने से डरते थे और वे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित थे क्योंकि अधिकतर घरो से दूर रहते है काम के कारण उन्हें भय था कि सेना कहीं उनका घर लूट न ले या उन्हें बरबाद न कर दे। अनेकों गाँव वालों ने नांग–मी के परिवार को घटना के लिए दोषी माना ये कहकर कि अगर उसके माता –पिता उसे दूर नहीं होते तो उसका बलात्कार कभी नहीं होता।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 140) | नाम | – | नांगम्या (वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | – | 19 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौद्ध |
| | वृति | – | किसन |
| | स्थान | – | कूंगसार गाँव, नारखर्न क्षेत्र, मुर्ग नइ नगर |
| | घटना की तिथि | – | 16/4/2001 |
| | SPDC सेना | – | CO.3 LIB 525, कप्तान लाफे |

अप्रैल 162001, 19 वर्षीय नांग्म्या अपने घर में अकेली थी, उसी क्षेत्र में SPDC सेना CO. 3, LIB 248 गश्ती करती थी तभी कप्तान 'लाफे' सेना के उच्च अधिकारी ने नांग्म्य को अकेले देखा, वो उसके

सामने गए और कहा, ''उनकी पलटन का एक सिपाही खो गया है वह शायद तुम्हारे घर में छुपा है। उस कप्तान ने घर की तलाशी के बहाने उसके घर में प्रवेश किया उसने 'नांग्मया' को अपने साथ आने को कहा, उसने उसे सोने वाले कमरे में बुलाया और उसका बलात्कार वहीं किया। बलात्कार के बाद उस कप्तान ने लड़की के गले की साने की चेन खींची और अपने साथ ले गया उसका वजन 1 बेहत था ओर उसकी कीमत 5000 थाइ बेहत थी। बर्मीस सैनिक के व्यवहार के कारण वह लज्जित और भयभीत थी और उसने प्रभुत्व से शिकायत नहीं की। उसने ये बात अपने तक रखी और अंत ने बीमार पड़ गई।

वैसे तो उसके रिश्तेदारों ने उसकी सहायता की और उसका ध्यान रखा, उसका 21 वर्षीय मंगेतर उससे मिलने या देखने नहीं आया और बलात्कार की घटना के कारण उसने उससे सगाई तोड़ दी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 144) | नाम | - | नांग टोंग (वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | - | 12 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | - | अविवाहित |
| | राज्य | - | शान |
| | धर्म | - | बौद्ध |
| | वृति | - | किसान |
| | स्थान | - | बसार गाँव, केंगटांग, मुर्गटाइ नगर |
| | घटना की तिथि | - | अप्रैल 2001 |
| | SPDC सेना | - | IB 99, केंद्रीय बर्मा से मिथैला और मिनचान केंग टांग की नई शाखा मुर्ग नाई नगर |

12 वर्षीय नांगटोंग अपने परिवार के साथ रहती थी। जब वह शिशु थी तभी से उसकी आँखो में किसी कारण तकलीफ थी। जिससे वो ठीक से देख नहीं सकती थी। अप्रैल 2001, को टोनहुग गाँव के लोग मंदिर में गए थे जब सब मंदिर जा रहे थे तब वह भी गाँव के बड़ों के साथ जा रही थी। वापस लौटते समय, नांगटोंग अपेन मित्र के साथ अकेले आने लगी। एक IB 99 के सिपाही ने दोनों लड़कियों को देखा उस सिपाही ने नांगटोंग को पकड़ा और उसका बलात्कार किया।

उसकी सहेली डर गई थी और वहाँ से भाग गई, पर नांग-टोंग भाग नहीं सकी क्योंकि उसकी आँखे खराब थीं उसने भागने की कोशिश तो की पर सिपाही ने उसे पकड़ लिया। उसी समय एक महिला टोनहूंग गाँव से बसार गाँव में साइकिल से आ रही थी और उसने देखा की क्या हो रहा है, जब सिपाही ने देखा कि वो महिला उसे देख रही है उसने नांगटोंग को छोड़ दिया। उसने घटना की शिकायत गाँव के मुखिया से की। परन्तु मुखिया और उसके माता-पिता को सेना की शिकायत करने से भय था। उन्हें मालूम था कि पहले हुई घटना की शिकायत जिसने भी की, उससे जुर्माना लिया गया था, तो उनसे दस

मुर्गियां माँगी गई और एक बाल्टी भर कर तेल सेना के लिए माँगा जाता। बहुत-से गाँव वालों ने नांगटोंग को घटना के लिए दोषी पाया ये कहकर कि उसे अकेले नहीं लौटना चाहिए था उसे बड़ों के साथ ही वापस लौटना चाहिए था।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 145) | नाम | - | नांग युंट (वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | - | 18 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | - | अविवाहित |
| | राज्य | - | शान |
| | धर्म | - | बौद्ध |
| | वृति | - | किसान |
| | स्थान | - | नोंगकोर गाँव, वानजाद क्षेत्र, केसी नगर |
| | घटना की तिथि | - | 1/5ध2001 |
| | SPDC सेना | - | CO. 5 LIB 424, कप्तान सोएफ |

नांगयुंट एक 18 वर्षीय महिला नोंगकोर गाँव से वानजाद क्षेत्र, केसी नगर से थी जिस पर कप्तान सोफ्यू ने हमला किया और उसके घर में बलात्कार किया दिनांक 1/5/2001 को। घटना के पश्चात् पीड़ित के पिता ने गाँव के मुखिया से शिकायत की। उन दोनों ने साथ में जाकर कप्तान थंगजा, LIB 424 छावनी के नायक से शिकयत की। कप्तान ने कहा नांगयुंट के अलावा घटना का कोई साक्षी नहीं है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 147) | नाम | - | नांगफोंग(वास्तविक नाम नही है) |
| | आयु | - | 21 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | - | विवाहित |
| | राज्य | - | शान |
| | धर्म | - | बौद्ध |
| | वृति | - | किसान |
| | स्थान | - | नामकेट गाँव, नारवोई क्षेत्र, नाम जार्ग नगर नामकेट को नामजार्ग नगर में 11/3/1997 में बदला गया। |
| | घटना की तिथि | - | 18/5/2001 |

SPDC सेना – IB 66, कप्तान थैन मोंगटुन

मई, 2001 (दिनांक 18 को सामान्य छावनी के नायक कप्तान थैनमोंगटुन ने 15 महिलाओं को आज्ञा दी कि वो सैन्य छावनी में आकर उनके घरों की सफाई करें। छावनी में 15 महिलाएँ आई। कप्तान ने 14 महिलाओं को दूसरे सिपाहियों के सोने के कमरे में जाकर सफाई करने को कहा, और नांगफोंग को अपने कमरे की सफाई के लिए कहा। जैसे ही लडकी ने उसके कमरे में प्रवेश किया कप्तान उसके पीछे–पीछे गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कप्तान उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़ा और वह चिल्लाई ''कप्तान मेरा बलात्कार कर रहा है।'' उसने उसका मुँह अपने हाथ से दबा दिया और उसका बलात्कार किया।

जब वह अपने घर पहुँची, उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, उसके पति ने गाँव के मुखिया से शिकायत की, जो उन्हें अपने साथ लेकर कप्तान के पास गए। नांगफोंग ने कप्तान को दोषी बताया और कहा ''कल तुमने ही अपने कमरे में मेरा बलात्कार किया।

इसके जवाब में कप्तान ने कहा, ''अगर मैने तुम्हारा बलात्कार किया तो तुमने किसी से कहा क्यों नहीं? किसी को सहायता के लिए क्यों नहीं बुलाया? अगर मैने बलात्कार किया तो बाकी 14 औरतों ने तुम्हारी अवाज क्यों नहीं सुनी तुम्हारी सहायता के लिए क्यों नहीं आई ? कप्तान ने उन 14 महिलाओं से पूछा क्या किसी ने देखा है मैने इसके साथ बलात्कार किया? किसी ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि किसी ने भी अपने आँखों से कुछ नहीं देखा। इसके बाद कप्तान ने नांगफोंग पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया उसे बदनाम करने के लिए। घटना के बाद नांगफोंग लज्जित, उदास ओर भयभीत रहने लगी। उसके पति और रिश्तेदारों ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी सहायता की, उसके पति और वह दुबारा साथ में रहने लगे। घटना के दो या तीन दिन बाद, नांगफोंग और उसका पति थाईलैंड आ गए।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 152. | नाम | – | नांगऐंग (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 27 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | विवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | वृति | – | किसान |
| | स्थान | – | तेर होंग गांव, नोंग ही क्षेत्र, मुर्गनाइ नगर। तेरहोंग को 11.4.96 को तोनहुग में बदला गया। |
| | घटना की तिथि | – | 4.7.2001 |

SPDC सेना – Co.3, LIB 524, कप्तान तुनू, कनहिंग नगर

जून 2001, दिनांक 29 को SPDC सेना तोन हुंग क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, कप्तान तोन हुंग ने नांगऐंग को देखा। कप्तान ने 30 सैनिकों को क्षेत्र में गश्त करने के लिए कहा जो कि कप्तान तेन ओंग के नेतृत्व में थे। कुछ दिन बाद कप्तान ने गांव के मुखिया को बुलवाया और उसे कहा कि वो नांगऐंग के पति को उसके पास लाए। जब उसका पति वहां पहुंचा तो कप्तान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दो दिन के लिए हमारे मार्गदर्शक बनो। तुम जाकर अपना सामान तैयार कर लो और यहां हमारा इंतजार करो। उसने उसकी बात मान ली और उसके कहे अनुसार किया।

जुलाई 4 को नांगऐंग का पति अभी भी अपने घर से दूर था, कप्तान लुनु ये बात जानते थे, वो उसके घर गया और बिना कोई प्रश्न किये वह सीधा उसके घर में प्रवेश कर गया। फिर कप्तान ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे भयभीत किया और उसका बलात्कार किया, सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक।

जब उसका पति घर लौटा तो नांगऐंग ने उसे सब कुछ बताया, उसके पति ने घटना की जानकारी गांव के मुखिया और गांव के बड़े बुजुर्गो से की। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा घटना का साक्षी नांगऐंग के अलावा कोई नहीं है इसलिए जीत नहीं पायेंगे फिर उन्होंने निश्चय किया कि वह सेना से शिकायत करेंगे।

उस समय के बाद से नांगऐंग का पति उसे बर्मीस द्वारा त्याग दी गई कह कर पुकारता। पर उसके परिवार के सदस्य दोनों ही तरफ से बातचीत करते थे और नांगऐंग को दोषी नहीं मानते थे। वो जानते थे कि नांगऐंग ने कप्तान के साथ यौन संबंध नहीं बनाया बल्कि कप्तान ने उससे बलपूर्वक करवाया उसके पिस्तौल की नोक पर उसे भयभीत किया और उसका बलात्कार किया। अगस्त 2001, को नांगऐंग और उसका पति थाईलैंड आ गए।

152.

| | | |
|---|---|---|
| नाम | – | नांगएइ (वास्तविक नाम नहीं है) |
| आयु | – | 16 वर्षीय |
| राज्य | – | शान |
| धर्म | – | बौध |
| सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| वृति | – | किसान |
| स्थान | – | कूंग सार गांव, वान नोंग–कूंग क्षेत्र, नेम जर्ग नगर |
| घटना की तिथि | – | 16–7–2001 |

QQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SPDC सेना | – | Co.2, IB 66 नेमजर्ग स्थित, कप्तान जालैंग |

जुलाई 16, 2001 को नांगएइ एक 16 वर्षीय लड़की कुंगसार गाँव से वान नोंग कूंग क्षेत्र में कप्तान जालैंग ने उसका बलात्कार किया उसके गाँव से आधे मील दूर। उसने घटना की शिकायत प्रभुत्व से नहीं की। 9–10 दिन के बाद वह बीमार पड़ गई। उसके रिश्तेदार उसे अस्पताल ले गये जहाँ वह पाँच दिन तक रही। फिर उसे लोइलेम अस्पताल ले जाया गया। और 10 दिन चिकित्सा हुई जिसका 17,000 रूपये खर्चा आया। उसके बाद वह उतनी ठीक हुई कि घर आ सके।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 160. | नाम | – | नांगला (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 16 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | विवाहित, 2 महीने का बच्चा |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | वृति | – | किसान |
| | स्थान | – | केंगलोम गांव, केमलोम क्षेत्र, कुनहिंग नगर |
| | घटना की तिथि | – | अगस्त 2001 |
| | SPDC सेना | – | LIB 246 |

नांगला 16 वर्ष की है और उसके विवाह को तीन साल हो गए और जब उसके पति और उस पर SPDC सेना ने हमला किया तब वे क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उस समय नांगला सात महीने की गर्भवती थी। वह अपने 26 वर्षीय पति जाइक्युना के साथ एक छोटे से झौपड़े में अपने खेत पर रहती थी। अगस्त 2001 को SPDC सेना ने उसके खेत में प्रवेश किया और उसके पति को पीटा, सैनिकों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे पेड़ से बांध दिया। उसे पीटने के बाद सैनिक नांगला को झोपड़ी में ले गये। उसे अपनी बंदूकों से डराया और उसके चेहरे पर मारा गया, जब तक उसके नाक से खून न आया। वह गर्भवती थी फिर भी सैनिकों ने उसका बलात्कार किया और बाकी झौपड़ी के बाहर खड़े होकर उसके रोने–चीखने की आवाजों पर हँसे। फिर उसके पति को झौपड़ी के और पास बांध दिया ताकि वह अपनी पत्नी के साथ हो रहे अन्याय को ठीक से सुन सके। सैनिकों ने नांगला के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और उन्होंने 8 बजे से 4 बजे तक उसका बलात्कार किया। इस दौरान नांगला बार–बार बेहोश होती गई। बलात्कार के बाद वे उसके पति को अपने साथ ले गये द्वारपाल का काम कराने के लिए। वह फिर कभी वापस नहीं आया। नांगला जानती थी कि वह मर चुका होगा।

नांगला अकेली और बीमार थी, उसे लगा कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, फिर भी चार दिन बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, अगले दिन उसके पति के रिश्तेदार कुनहिंग से थाईलैंड उसे लेने आए। जब वह वहाँ पहुँची तो उन्हें बलात्कार की घटना का पता चला और उसके पति की मृत्यु का भी। नांगले चाहती थी कि वह अपने साथ हुए बलात्कार और उसके पति के हत्यारों को सजा दिलवाए पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह बर्मीस भाषा नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी कि वह प्रभुत्व के सामने कैसे जाए। उसके पास सैनिक को पहचानने के लिए कोई तरीका नहीं था। वह उस सैनिक के पलटन की संख्या नहीं जानती थी और वो घबरा रही थी उसके साथ हुए बलात्कार और पति की हत्या की शिकायत करने से।

साक्षात्कार के समय उसका बच्चा दो माह का था। कमजोर और बीमार भी। उसका दूध पीने से बच्चे में थोड़ी सी ताकत आई पर नांगला के पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे वह काम करने के लिए बहुत कमजोर थी, उसके पास चिकित्सा कराने के लिए और अस्पताल जाने के लिए भी पैसे नहीं थे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 161. | नाम | – | नांग मो (वास्तविक नाम नही) |
| | आयु | – | 13 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | वृति | – | किसान |
| | स्थान | – | नेमखेम गांव, कनहिंग नगर |
| | घटना की तिथि | – | अगस्त 2001 |
| | SPDC सेना | – | LIB 246, कनहिंग स्थित |

SPDC सेना जब कनहिंग छावनी के नजदीकी क्षेत्र में गश्त कर रही थी तब उन्होंने 13 वर्षीय इद नांगमों को उसकी 14 वर्षीय सहेली नांगजंग को जंगल में सब्जियां इकट्ठे करते हुए देखा। सैनिक लड़कियों के सामने गए। नांगजंग अपने आप को छुड़ाकर भाग गई, पर कप्तान ने नांगमों को पकड़ा और उसका बलात्कार किया और उसे अगली सुबह नारहयु गांव के पास छोड़ दिया। अन्त में अपने गांव आई और अपने रिश्तेदारों को सब बताया। उसके रिश्तेदार वहां के सामान्य छावनीके नायक से शिकायत करना चाहते थे पर उन्हें भय था कि शिकायत करने पर उनसे जुर्माना मांगा जाएगा या फिर उन्हें बन्दी बना दिया जाएगा। वे यह अवश्य चाहते थे कि उन्हें न्याय मिले परन्तु वे कुछ नहीं कर सकते थे। नांगमों

परेशान, उदास और लज्जित हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 162. | नाम | – | नांगहेम (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 16 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | वृति | – | किसान, 4 कक्षा की पढ़ाई कर चुकी थी |
| | स्थान | – | लोइनोइ गांव, नोंगलोंग क्षेत्र, मुर्गपेन नगर<br>लोइनोइ को मुर्गपेन में 1998 में बदला गया। |
| | घटना की तिथि | – | 11.9.2001 |
| | SPDC सेना | – | Co-4, LIB 520, कप्तान यावोन |

16 वर्षीय नांगहेम अपने घर में अकेली थी, जब कप्तान यान्वोन गाँव में ये कहकर आया कि उसे कुछ मुर्गीयां खरीदनी है। उसने नांगहेम को अकेली पाकर उसके घर में प्रवेश किया और उसका बलात्कार किया। लड़की जोर से चिल्लाई, तो कप्तान ने उसके मुँह पर जोर से चाँटा मारा जिससे उसके चेहरे पर दाग पड़ गया। घटना के बाद उसने प्रभुत्व से शिकायत नहीं की पर उसने अपने परिवार को सब बताया। कुछ समय पश्चात् वह बॉर्डर पार करके अपने रिश्तेदारों के साथ थाईलैंड चले गये।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 168. | नाम | – | नांगटुन (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 19 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | विवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | वृति | – | किसान, 4 कक्षा की पढ़ाई कर चुकी थी |
| | स्थान | – | कांगऊन गांव, नांगका क्षेत्र, लाइखा नगर, कांगऊन |

गांव वानलांग ब्यु हुइ 4.4.1997 में बदला गया।

| | | |
|---|---|---|
| घटना की तिथि | – | 24.10.2001 |
| SPDC सेना | – | Co-3, LIB 515, कप्तान सोए सोए ओंग |

अक्तुबर 2001, दिनांक 24 को, 4 SPDC सैनिक कप्तान सोए सोएओंग के नेतृत्व में अपना पड़ाव छोडकर कांगऊन गाँव में मुर्गियां खरीदने आए। गाँव में पहुँच कर कप्तान ने नांगटुन को अकेले पाया और उससे पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? नांगटुन ने उत्तर दिया कि वह दूर बलपूर्वक काम कर रहा है। उस कप्तान ने कहा कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी चीजों को कोई नुकसान न पहुँचे। घर में प्रवेश करते ही कप्तान ने नांगटुन को पकड़ा और उसकी पिस्तौल से उसे डराया और मार डालने की धमकी दी। नांगटुन ने बहुत शोर मचाया पर कप्तान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसका बलात्कार करके अपनी छावनी वापस लौट गया।

नांगटुन ने घटना की शिकायत अपने गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्गो से की। उन्होंने कहा तुम्हारे पति के आने पर हम कुछ करेंगे। 2 – 3 दिन बाद उसका पति आया उसे घटना का पता चला, फिर सब मिलकर सैनिक की छावनी में गए। कुल मिलाकर 13 लोग सैन्य छावनी में नायक से बात करने गये। कप्तान थान टुन ने कहा कप्तान सोए सोए ओंग 19 – 20 दिन से क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और वह अभी तक वापस नहीं आया। नांगटुन ने कहा कि वो उसे आसानी से पहचान सकती है, इसलिए कप्तान अपने सैनिकों को एक साथ खड़े होने को कहा। 146 सैनिक खड़े हुए पर कप्तान सोए सोए आंग उनमे नहीं था। नांगटुन उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाई, तब कप्तान ने कहा ये सब मेरे सिपाही हैं और इस वक्त मेरी छावनी में हैं और तुम किसी को भी दोषी नहीं कह सकती, यह कहकर कप्तान ने नांगटुन को जेल में कैद कर दिया, वह एक दिन और एक रात तक जेल में रही जब कप्तान से मिलने गाँव के लोग गए और नांगटुन को रिहा करने की विनती की तो कप्तान ने कहा कि तुम्हारे कारण मुझे नुकसान हुआ और मुझे लज्जित किया। तुम्हें 20,000 रूपये देने पडेंगे। गाँव वालों ने पैसे दिए और नांगटुन को आजाद कराया।

कैद से छूटने के बाद वह बहुत बीमार तो नहीं पड़ी पर उसे सरदर्द और कमजोरी होती गई और उसे लाइखा गाँव के अस्पताल में पाँच बार जाना पड़ा। अन्त में वह ठीक हो गई। उसके परिवार ने उसकी सहायता की और उन्होंने उसका साथ दिया, पर नांगटुन अपने बलात्कारी को सजा पाते देखना चाहती थी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 169. | नाम | – | नांगलांट (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 32 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | विवाहित, 3 बच्चों की मां |
| | राज्य | – | शान |

| | | |
|---|---|---|
| धर्म | – | बौध |
| वृति | – | किसान |
| स्थान | – | लाइसिम गाँव, वानलोन क्षेत्र, मुर्ग कर्ग |
| घटना की तिथि | – | 6.11.2001 |
| SPDC सेना | – | LIB 514, अफसर थिनमिंट और न्यानलिन |

60 – 70 SPDC सेना नांगलांट के गाँव के पास गश्त कर रही थी, तब उसका पति जाइटुन सेना को नजदीक आता देख भाग गया परन्तु सेना ने उसे देख लिया। उन्होंने नांगलांट के घर को घेर लिया और उसके घर की तलाशी ली बिना किसी गलती के। जब उन्होंने तलाशी समाप्त कर ली तब उन्होंने नांगलांट से उसके साथ आने को कहा, पर वह उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। अफसर थिनमिंट ने उसके चेहरे पर 3 – 4 बार चाँटें मारते हुए कहा, ''तु मेरे साथ चलेगी या नहीं?'' नांगलांट कुछ नहीं कर सकती थी। उसे सेना के साथ जाना पडा। वे उसे पहले जंगल में ले गए, दो दिन तक दोनों अफसरों ने उसका बलात्कार किया, उसके पश्चात् रेतीले गाँव में ले गये। उसे वहाँ तीन रातों तक रखा गया, फिर उसे LIB 54 के सामान्य पड़ाव पर आखिरी रात के लिए ले गए। इस के दौरान उसका लगातार बलात्कार हुआ पूरे 6 दिन और रातें।

अंत में उसे सुबह 7.00 बजे छोड़ा गया यह धमकी देकर अगर तुमने किसी से भी कुछ बताया तो वे आकर उसे और उसके पति को मार डालेंगे। नांगलेट अपने घर पहुंची और उसने अपने पति को सब बताया पर वह किसी से भी शिकायत करने से डर रहे थे।

नांगलांट और उसका पति अभी तक साथ हैं, उसका पति उसे समझाता है और सिर्फ सिपाहियों को ही घटना का दोषी मानता है। नांगलांट उदास और क्रोधित थी वह उन सिपाहियों को दंडित कराना चाहती थी जिन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, घटना के बाद वह बीमार पड़ गई और 7 दिनों तक मुर्ग कर्ग नगर के अस्पताल में रही।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 170. | नाम | – | नांगईग (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | – | 17 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| | राज्य | – | शान |
| | धर्म | – | बौध |
| | वृति | – | किसान |
| | स्थान | – | वानखोम गांव जो कि दिनांक 11.6.1997 में मुर्गकर्ग में बदला गया। |

| | | |
|---|---|---|
| घटना की तिथि | – | 6.11.2001 |
| SPDC सेना | – | Co. 5, LIB 514, कप्तान क्यामिंट और उसके 4 सिपाही। |

नांगईग अपने गांव के बाहर भोजन की तलाश कर रही थी, तभी वहां से 60–70 SPDC सेना वहां से गुजरी। उन्होंने नांगइंग को वहां काम करते हुए देखा और उसे अपने साथ ले गए। वो उसे जंगल में दो रातों के लिए ले गए और फिर रेतीले गांव में तीन रातों के लिए, फिर अंत में सामान्य छावनी में एक रात के लिए। कप्तान और उसके 4 सिपाहियों ने लगातार 6 रातों तक उसका सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्होंने सातवें दिन सुबह 6 बजे छोड दिया।

जब वह अपने घर पहुंची उसने अपने मां–पिता और रिश्तेदारों को बताया जो उसके साथ हुआ फिर उसके खून की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। तब उसके चाचा ने गांव के मुखिया से शिकायत की। यह सुनते ही मुखिया शान के कप्तान शषेला पलटन 3, LIB 515 से मामले के बारे में कहने गए। कप्तान ने कहा, बर्मीस सिपाही झूठे होते हैं जैसा कि हमने घटना को घटते हुए नहीं देखा वो सबूत मांगेंग, वैसे नांगइंग अपने बलात्कारी को पहचानती है वह उसे झूठा साबित कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भी एक SPDC सैनिक हूँ, शान मेरा रिश्तेदार है जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, मैं जानता हूं कि केस जीतना असंभव है। उसके परिवार ने उसका साथ दिया और उसे समझा। वह बहुत क्रोधित थी, क्योंकि वह बलात्कारी को दंड देना चाहती थी पर वह कुछ नहीं कर सकती थी।

171.

| | | |
|---|---|---|
| नाम | – | नांग सेंग(वास्तविक नाम नहीं है) |
| आयु | – | 14 वर्षीय |
| सामाजिक स्थिति | – | अविवाहित |
| राज्य | – | शान |
| धर्म | – | बौध |
| वृति | – | किसान |
| स्थान | – | नारलिन गांव, वानफे क्षेत्र, मुर्गकर्ग नगर |
| घटना की तिथि | – | 6.11.2001 |
| SPDC सेना | – | Co. 5, LIB 514, कप्तान यामिंट |

SPDC सेना के 60–70 सिपाही नारलिन गांव में पहुंचे तो गांव के सभी पुरूष वहां से भाग गये क्योंकि सिपाही उन्हें बलपूर्वक द्वारपाल का काम करवाते थे। गांव में सिर्फ महिलाएं रह गई थी। कप्तान

यामिंट नांगसेंग के घर के पास पहुंचे और देखा 14 वर्षीय लड़की घर में अकेली है। अपने सिपाहियों को उसने घर के बाहर रोक दिया और कप्तान ने उसके घर में उसका बलात्कार किया।

जब सेना वापिस चली गई, उसका परिवार वापिस आया। उन्हें घटना के बारे में पता चला पर वो प्रभुत्व से शिकायत करने से डरते थे, घटना के दो दिन बाद उसे चिकित्सा के लिए ले जाया गया, डरी और परेशान नांगसेंग पांच-छ रातों तक सोई नहीं। वह कप्तान को दंड देना चाहती थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 170. | नाम | - | नांगकु (वास्तविक नाम नहीं है) |
| | आयु | - | 18 वर्षीय |
| | सामाजिक स्थिति | - | अविवाहित |
| | राज्य | - | शान |
| | धर्म | - | बौध |
| | वृति | - | किसान |
| | स्थान | - | वार्नलाओ गाँव, वार्नलाओ क्षेत्र, कन हिंग नगर |
| | घटना की तिथि | - | 4.12.2001 |
| | SPDC सेना | - | Co. 4, LIB 524, कप्तान मिंट मोंग टवे |

दिनांक 4.12.2001 कप्तान मिंट मोंगटवे Co.4, LIB 524 से अपनी गश्त पर थे। हमेशा की तरह कप्तान ने नांगकू को अकेले घर में देखा कप्तान उसके घर में गया और उससे पूछा, मैं देख रहा हूं कि तुम घर में अकेली हो। तुम्हारे परिवारजन कहां हैं?

'मेरे पिता दूर काम कर रहे हैं और मेरी मां और बड़ी बहन खेत पर काम करने गई हैं। नांगकु ने उत्तर दिया।

कप्तान ने उससे पूछा पिछली रात तुम्हारे घर में कौन था? क्या वह अभी भी है मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी के बहाने वह उसको एक कमरे में ले गया और पिस्तौल दिखा कर उसे डराया। नांगकु चिल्लाई तो कप्तान ने उसे चाँटा मारा और उसका मुँह दबा दिया और उसका बलात्कार किया। कप्तान ने उसे डराया अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। उसका परिवार जब कुछ समय बाद लौटा तो उसने घटना का पूरा विवरण दिया। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की और अगली सुबह उसे अस्पताल ले गए। घटना के बाद उसका परिवार वहाँ रहना नहीं चाहता था। फिर वे मुर्गटोन चले गये और बाद में थाईलैंड।